

### 2.4.1

Number of full time teachers against sanctioned posts during the year.

## D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur Chhattisgarh, India 495001

#### OFFICE OF THE PRINCIPAL



### D. P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

### Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No.- 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

### **Summary-Sheet**

Criteria	2 – Teaching Learning & Evaluation	
Key Indicator	2.4: Teacher Profile and Quality	
Metric	2.4.1: Full time teachers against sanctioned post	s during the year
Full time teachers and	Year	2022-23
sanctioned posts	No. of full time teachers	78
	No. of sanctioned posts	91

N	ote	•

Since all supporting documents for this metric exceeds the upload limit of 5Mb, hence we have hosted the scanned documents as per SOP on institutional website on the following links,

have hosted the scanned documents as per SOP on ins	titutional website on the following links,
Description	Relevant link
1) Prockup of conctioned post and filled post for AV	4 6 0
1) Breakup of sanctioned post and filled post for AY	∠B → B
2022-23 attested by principal is attached.	9 . 9
(Appendix-I)	7
2) List of faculty members authenticated by head of	330
institute is attached for AY 2022-23.	https://dpvipracollege.in/aqar-2022-23
(Appendix-II)	intps://upvipraconege.m/aqar-2022-25
3) Appointment letter of faculty members is attached	
as per above list.	
(Appendix-III)	

IQAC Co-ordinator D.P. Vipra College BILASPUR (C.G.)

**IQAC** Coordinator

PRINCIPAL
D.P. Vipra College
Bilaspur (C.G.)

Principal



### D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

#### NAAC ACCREDITED "A" GRADE

PHONE: 07752-424497, E-mail - dpvipracollege@gmail.com

- 2.4.1 Number of full time teachers against sanctioned posts
- 2.4.3 Number of years of teaching experience of full time teachers in the same institution

			202	2-23			
Name of the Full-time teacher	PAN	Designation	Year of appointment	Nature of appointment (Against Sanctioned post, Contractual, Permanent)	Name of the Department	Total years of Experience in the same institution	Is the teacher still serving the institution/If not last year of the service of Faculty to the Institution
DR.VIMAL PATEL	AGRPP8200C	ASST .PROFESSOR	1983	PERMANENT	GEOGRAPHY	39	YES
DR. SMT.SADHNA SHOME	AVRPS0169E	ASST.PROFESSOR	1984	PERMANENT	SOCIOLOGY	38	YES
DR. SMT.ANJU SHUKLA	AEPPS2610M	ASST. PROFESSOR	1990	PERMANENT	SOCIOLOGY	32	YES
DR. SANJAY KUMAR TIWARI	ADCPT7057P	ASST. PROFESSOR	1997	PERMANENT	ENGLISH	25	YES
DR. K.K.SHARMA	AJQPS6934C	ASST. PROFESSOR	1997	PERMANENT	ECONOMICS	25	YES
DR. R.N.YADAV	ABPPY4104K	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	GEOGRAPHY	19	YES
DR. M.L.JAISWAL	ADDPJ6603Q	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	BOTANY	19	YES
DR. VIVEK AMBALKAR	AUIPA8608G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	PHYSICS	19	YES
DR. SHUSHMA SHARMA	CSHPS9649L	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	SOCIOLOGY	19	YES
DR. TARU TIWARI	ACKPT9222D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	HISTORY	19	YES
DR. KHAGENDRA KUMAR SONI	DSXPS7110D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	19	YES
DR. SMT.SUNITA YADAV	AGIPY3409P	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	POLITICAL SCIENCE	19	YES
MR. A.SRI RAM	DGBPS9294G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	19	YES
MR. JAYANTA ROY	ASYPR0364E	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	COMMERCE	19	YES
DR. SMT.RENU NAYAR	AMDPN6486C	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	CHEMISTRY	19	YES
DR. MANISH TIWARI	AHAPT4727G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	CHEMISTRY	19	YES
DR. OORJA RANJAN SINHA	BODPS6598R	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ENGLISH	19	YES
DR. ASHISH SHARMA	DKSPS1864P	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ENGLISH	19	YES
DR. M.S.TAMBOLI	ANEPT2677D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	POLITICAL SCIENCE	19	YES

MRS. SNEHLATA MISHRA	AXOPM4879L	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	MATHEMATICS	19	YES
DR. SHUBHRAJA PANDEY	AVHPP1686R	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	MICROBIOLOGY	19	YES
MRS. SHRITI SOMWANSHI	EUEPS6495H	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ZOOLOGY	19	YES
MR. DEEPAK TIWARI	AVOPT0953G	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	CHEMISTRY	19	YES
MR. NIDHISH CHAUBEY	AIJPC7375D	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ELECTRONICS	19	YES
DR. RASHMI SHARMA	DKEPS6821J	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	SOCIOLOGY	19	YES
DR. SMT.ABHA TIWARI	ANEPT2699B	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	POLITICAL SCIENCE	19	YES
DR. ASHUTOSH PANDEY	AXKPP3462E	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	MATHEMATICS	19	YES
PROF. RAJNI KUJUR	BIUPK5421J	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	SOCIOLOGY	19	YES
DR. SMT. SIKHA PAHARE	BPFPP0437M	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	BOTANY	19	YES
DR. SMT. SMRITI RANI PRAKASH	BPFPP0682E	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	HISTORY	19	YES
MRS. TOSHIMA MISHRA	BLKPM2849H	ASST. PROFESSOR	2003	PERMANENT	ZOOLOGY	19	YES
DR. SMT.SURUCHI MISHRA	BGBPM2755E	ASST. PROFESSOR	2016	PERMANENT	HINDI	6	YES
MR. VISHWAS VICTOR	AQSPV2824R	ASST. PROFESSOR	2017	PERMANENT	COMPUTER SCIENCE	5	YES
Dr. RICHA HANDA	ACQPH9714G	ASST. PROFESSOR	2017	PERMANENT	COMPUTER SCIENCE	5	YES
MRS. KIRAN DUBEY	BYVPD8730J	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	POLITICAL SCIENCE	6	YES
MR. PRADEEP JAISWAL	BCIPJ5245D	ASST. PROFESSOR	2016	CONTRACTUAL	CHEMISTRY	6	YES
MR. MOTILAL PATLE	COFPP4164M	ASST. PROFESSOR	2010	CONTRACTUAL	BOTANY	12	YES
MR. YUPESH KUMAR	AHEPY8376L	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	HISTORY	4	YES
MISS ANUPAMA PANDEY	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	4	YES
MR. BRIJESH KUMAR	NA	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	3	YES
MR. BHAGVAT KAUSHIK	NA	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	PHYSICS	5	YES
MISS.PRACHI TIWARI	NA	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	BIOTECHNOLOGY	4	YES
MR. RUPENDRA SHARMA	GIMPS1423Q	ASST. PROFESSOR	2017	CONTRACTUAL	POLITICAL SCIENCE	5	YES
MR. GENDLAL BANJARE	ССРРВ0172Н	ASST. PROFESSOR	2018	CONTRACTUAL	GEOGRAPHY	4	YES
MISS. SAPNA MISHRA	DDZPM0780G	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	PHYSICS	3	YES
MISS. VARSHA RANI DUBEY	BPUPD9611N	ASST. PROFESSOR	2019	CONTRACTUAL	ENGLISH	3	YES
MISS. ANJALI SONA	GNUPS4527K	ASST. PROFESSOR	2020	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	3	YES

MR. ISHWAR SURYAWANSHI	DOMPS5036D	ASST. PROFESSOR	2020	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	3	YES
MISS. VARSHA SINGH	NA	ASST. PROFESSOR	2020	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	2	YES
MISS. NEELAM SINGH SINGHEL	NA	ASST. PROFESSOR	2021	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	2	YES
PROF. ABHILASHA SINGH	AXSPT6963C	ASST. PROFESSOR	2021	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	2	YES
MR. DEEPAK KU. KASHYAP	NA	ASST. PROFESSOR	2021	CONTRACTUAL	ZOOLOGY	2	YES
MR. AJIT KASTURIYA	NA	ASST. PROFESSOR	2021	CONTRACTUAL	BOTANY	2	YES
MR. SARVESH DEEP	GKGPD3070M	ASST. PROFESSOR	2021	CONTRACTUAL	COMMERCE	2	YES
MISS. SHIKHA PANDEY	NA	ASST. PROFESSOR	2021	CONTRACTUAL	COMMERCE	2	YES
MR. DIVYANSHU SWARNAKAR	NA	ASST. PROFESSOR	2021	CONTRACTUAL	COMMERCE	2	YES
MR. PRAKASH CHATURVEDI	NA	ASST. PROFESSOR	2021	CONTRACTUAL	COMMERCE	2	YES
MISS. KANCHI BAJPAI	NA	ASST. PROFESSOR	2021	CONTRACTUAL	ENGLISH	2	YES
MR. JAISON SAMKUTTY	DYCPS4391R	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	ENGLISH	1	YES
MRS. JYOTI TIWARI	BEBPD1050D	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	HINDI	1	YES
MRS. ABHA BAJPAI	NA	ASST. PROFESSOR	2020	CONTRACTUAL	ECONOMICS	3	YES
MR. DIPANK GANDHEY	CNQPG3387P	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	ECONOMICS	1	YES
MRS. JEEBAN PRAVA MOHANTY	DDSPM8989J	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	CHEMISTRY	1	YES
MR. TIKAM SINGH RAJPUT	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	MATHEMATICS	1	YES
MR. DEV KUMAR	IIXPK6891Q	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	ZOOLOGY	1	YES
MISS. NIDHI DANIKAR	GIGPD5560N	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	MATHEMATICS	1	YES
MISS. ROSHNI SONI	GAXPS4476K	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	MICRO BIOLOGY	1	YES
MR. PURUSHOTTAM CHANDRAKAR	BVTPC2233A	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	CHEMISTRY	1	YES
MISS. SUNANDA SONI	QFBPS0769L	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	COMPUTER SCIENCE	1	YES
MISS. SHUBHANI SINGH THAKUR	AYKPT6025E	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	BIO CHEMISTRY	1	YES
MR. ABHILASH AWASTHI	AYYPA0582D	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	MANAGEMENT STUDIES	1	YES
MISS. PRASHANSA YADAV	FFJPP3251P	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	MICRO BIOLOGY	1	YES
MISS. AYUSHI PANDEY	FTUPP4497J	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	COMMERCE	1	YES
MR. BADRI PRASAD SAHU	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	COMMERCE	1	YES
MR. SHUSHIL KUMAR PATEL	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	ENGLISH	1	YES

MISS. DEEKSHA DEWANGAN	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	GEOGRAPHY	1	YES
MISS. DEEPALI KHUSHWAHA	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	MICRO BIOLOGY	1	YES
MR. HARISH RATHORE	NA	ASST. PROFESSOR	2022	CONTRACTUAL	ECONOMICS	1	YES

PRINCIPAL

D. P. VIPRA COLLEGE

BILASPUR (C.G.)



# Appendix I

## D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur Chattisgarh, India 495001



### OFFICE OF THE PRINCIPAL

### D. P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No.- 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email- dpvipracollege@gmail.com

Letter No./4(29/Estb/Post/2022-23

Bilaspur, Date 24.08.2022

Number of sanctioned posts for teaching faculty in the session 2022-23

S.No.	Post of Subject	Sanctioned Posts
1	Principal	1
2	Asst. Prof. Political Science	4
3	Asst. Prof. Hindi Literature	5
4	Asst. Prof. Economics	4
5	Asst. Prof. Sociology	5
6	Asst. Prof. Geography	5
7	Asst. Prof. English	5
8	Asst. Prof. History	4
9	Asst. Prof. Commerce	10
10	Asst. Prof. Microbiology	4
11	Asst. Prof. Batany	4
12	Asst. Prof. Zoology	4
13	Asst. Prof. Maths	4
14	Asst. Prof. Physics	5
15	Asst. Prof. Chemistry	7
16	Asst. Prof. Electronics	2
17	Asst. Prof. Computer Science	10
18	Asst. Prof. Public Administration	2
19	Asst. Prof. Biochemistry	2
20	Asst. Prof. Biotechnology	2
21	Asst. Prof. Management	3
	Grand Total	91

<sup>\*</sup> Excluding the post of Principal, 91 posts of Assistant Professor approved.

Principal

D.P. Vipra College

Bilaspur (C.G.)

डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)



Chairman

D.P. Vipra College

Bilaspur (C.G.)

प्रशासन समिति

डी.पीं.विप्र महाविद्यालय

विलासपुर (ट. .)



# Appendix II

## D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur Chattisgarh, India 495001



### OFFICE OF THE PRINCIPAL

### D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email-dpvipracollege@gmail.com

### UGC GRANTED ASST.PROFESSOR LIST

SESSION- 2022-2023				
S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT	
1	DR. ANJU SHUKLA	PRINCIPAL	SOCIOLOGY	
2	DR. VIMAL KUMAR PATEL	ASSISTANT PROFESSOR	GEOGRAPHY	
3	DR. SADHANA SHOME	ASSISTANT PROFESSOR	SOCIOLOGY	
4	DR. SANJAY KUMAR TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH	
5	DR. K.K. SHARMA	ASSISTANT PROFESSOR	ECONOMICS	

Principal D.P. Vipra College

Bilaspur (C.G.)
PRINCIPAL
D. P. VIPRA COLLEGE
BILASPUR!



### D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-424497, Web. - www.dpvipracollege.in, Email-dpvipracollege@gmail.com

### CODE-28 ASST. PROFESSOR LIST

	SESSION- 2022-2023				
S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT		
1	DR. R.N. YADAV	ASSISTANT PROFESSOR	GEOGRAPHY		
2	DR. M.L. JAISWAL	ASSISTANT PROFESSOR	BOTANY		
3	DR. VIVEK AMBALKAR	ASSISTANT PROFESSOR	PHYSICS		
4	DR. TARU TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	HISTORY		
5	DR. SUSHMA SHARMA	ASSISTANT PROFESSOR	SOCIOLOGY		
6	DR. KHAGENDRA SONI	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE		
7	DR. SUNITA YADAV	ASSISTANT PROFESSOR	POLITICAL SCIENCE		
8	MR. A. SRI RAM	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE		
9	MR. JAYANTA ROY	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE		
10	DR. MANISH TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY		
11	DR. RENU NAYAR	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY		
12	DR. OORJA RANJAN SINHA	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH		
13	DR. ASHISH SHARMA	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH		
14	DR, M.S. TAMBOLI	ASSISTANT PROFESSOR	PUBLIC ADMINISTRATION		
15	MRS. SNEHLATA MISHRA	ASSISTANT PROFESSOR	MATHEMATICS		
16	DR. SHUBHRAJA PANDEY	ASSISTANT PROFESSOR	MICRO BIOLOGY		
17	MRS. SHRITI SOMVANSHI	ASSISTANT PROFESSOR	BIOTECHNOLOGY		
18	MR. DEEPAK TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY		
19	MR. NIDHISH CHOUBEY	ASSISTANT PROFESSOR	ELECTRONICS		
20	DR. RASHMI SHARMA	ASSISTANT PROFESSOR	HISTORY		
21	DR. ABHA TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	POLITICAL SCIENCE		
22	DR. AASHUTOSH PANDEY	ASSISTANT PROFESSOR	MATHEMATICS		
23	MRS. RAJANI KUJUR	ASSISTANT PROFESSOR	SOCIOLOGY		
24	DR. SIKHA PHARE	ASSISTANT PROFESSOR	BOTANY		
25	DR. SMRITIRANI PRAKASH	ASSISTANT PROFESSOR	HISTORY		
26	MRS. TOSHIMA MISHRA	ASSISTANT PROFESSOR	ZOOLOGY		
27	MR. VISHWAS VICTOR	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE		
28	DR. RICHA HANDA	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE		
29	DR. SURUCHI MISHRA	ASSISTANT PROFESSOR	HINDI		

Principal
D.P. Vipra College
PRINCIPAC.)
D. P. VIPRA COLLEGF
BILASPUR (C.G.)



### OFFICE OF THE PRINCIPAL

### D.P. VIPRA COLLEGE, BILASPUR (C.G.)

Accredited "A" by NAAC, ISO-9001:2015 Certified

Phone No. - 07752-424497. Web. - www.dpripracollege.in, Email-dpvipracollege@gmail.com

### CONTRACTUAL ASST. PROFESSOR LIST

	SESSION- 2022-2023				
S.NO.	NAME	POST	DEPARTMENT		
1	MRS. KIRAN DUBEY	ASSISTANT PROFESSOR	PUBLIC ADMINISTRATION		
2	MR. PRADEEP JAISWAL	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY		
3	MR. YUPESH KUMAR	ASSISTANT PROFESSOR	HISTORY		
4	MR. BRIJESH KUMAR	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE		
5	MR. ISHWAR SURYAWANSHI	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE		
6	MRS. ANUPAMA PANDEY	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE		
7	MISS, VARSHA SINGH	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE		
8	MISS. ANJALI SONA	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE		
9	MISS. NEELAM SINGH SINGHEL	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE		
10	PROF. ABHILASHA SINGH	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE		
11	MR. RUPENDRA SHARMA	ASSISTANT PROFESSOR	POLITICAL SCIENCE		
12	MR. DEEPAK KU. KASHYAP	ASSISTANT PROFESSOR	ZOOLOGY		
13	MR. MOTILAL PATLE	ASSISTANT PROFESSOR	BOTANY		
14	MISS. PRACHI TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	BIOTECHNOLOGY		
15	MR. AJIT KASTURIYA	ASSISTANT PROFESSOR	BOTANY		
16	MR. GENDLAL BANJARE	ASSISTANT PROFESSOR	GEOGRAPHY		
17	MR. SARVESH DEEP	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE		
18	MISS. SHIKHA PANDEY	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE		
19	MR. DIVYANSHU SWARNAKAR	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE		
20	MR. PRAKASH CHATURVEDI	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE		
21	MISS. KANCHI BAJPAI	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH		
22	MR. JAISON SAMKUTTY	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH		
23	MRS. JYOTI TIWARI	ASSISTANT PROFESSOR	HINDI		
24	MR. BHAGWAT KAUSHIK	ASSISTANT PROFESSOR	PHYSICS		
25	MISS. SAPNA MISHRA	ASSISTANT PROFESSOR	PHYSICS		
26	MISS. VARSHA RANI DUBEY	ASSISTANT PROFESSOR	PHYSICS		
27	MRS. ABHA BAJPAI	ASSISTANT PROFESSOR	ECONOMICS		
28	MR. DIPANK GANDHEY	ASSISTANT PROFESSOR	ECONOMICS		
29	MRS. JEEBAN PRAVA MOHANTY	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY		
30	MR. TIKAM SINGH RAJPUT	ASSISTANT PROFESSOR	MATHEMATICS		
31	MR. DEV KUMAR	ASSISTANT PROFESSOR	ZOOLOGY		
32	MISS. NIDHI DANIKAR	ASSISTANT PROFESSOR	MATHEMATICS		
33	MISS. ROSHNI SONI	ASSISTANT PROFESSOR	MICRO BIOLOGY		
34	MR. PURUSHOTTAM CHANDRAKAR	ASSISTANT PROFESSOR	CHEMISTRY		
35	MISS. SUNANDA SONI	ASSISTANT PROFESSOR	COMPUTER SCIENCE		
36	MISS. SHUBHANI SINGH THAKUR	ASSISTANT PROFESSOR	BIO CHEMISTRY		
37	MR. ABHILASH AWASTHI	ASSISTANT PROFESSOR	MANAGEMENT STUDIES		

38	MISS. PRASHANSA YADAV	ASSISTANT PROFESSOR	MICRO BIOLOGY
39	MISS. AYUSHI PANDEY	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
40	MR. BADRI PRASAD SAHU	ASSISTANT PROFESSOR	COMMERCE
41	MR. SHUSHIL KUMAR PATEL	ASSISTANT PROFESSOR	ENGLISH
42	MISS. DEEKSHA DEWANGAN	ASSISTANT PROFESSOR	GEOGRAPHY
43	MISS. DEEPALI KHUSHWAHA	ASSISTANT PROFESSOR	MICRO BIOLOGY
44	MR. HARISH RATHORE	ASSISTANT PROFESSOR	ECONOMICS

Principal

D.P. Vipra College

D. P. VIPRA COLLEGE BILASPUR (C.G.)



# Appendix III

## D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur Chattisgarh, India 495001



## 2022-23

## D.P. Vipra College

Old High Court Road, Bilaspur Chhattisgarh, India 495001

## वर देखा, प्राचार्य लागेरला प्रवाद भेवत्र मधाभित्रालय भेव

9.151,0, -ノドンノソク

विवासपुर, दिनाव -14

इस महाविद्यालय को पथन तीनित जारा वथन विधे गर पदामिनाकी ए. अंतु । तवारी , जिनती निशुक्ति प्रणासन सीमीत को बेठक दिनकि- 12-11-20 में अनुगोरितत ही गयी । को इस महाविधालय में प्रो प्स के इस कि निम्हा से रतनत हुथे भिष्यामत पद पर समाजनारंत्र विषय ने <del>व्याख्यात</del> तहा गाट्यापक ने वस पर, मन्त्र-जन्म भिष्ठा सनुधान आयोग दोरा अनुमोदन की प्रत्याचार में 13-11-90 थ्राेशिन वेतन गान 2200-75-2800-100-4000 वे अत्मेत प्रारीभक वेतन तथा ंदिन जारा रिक्षे जा रहे मंद्याई भरता हे साथ एवं वर्ष हे विथे परिचीका पर 💯 विश्वास विया जाता है। यह आदेश निम्न क्यों दे साथ लागू होगा :-

भन्धा वत वितो भी पक्ष वारा निमुक्त विधे गये व्यक्ति या निमुक्त अध्यारी ारा विना गोई कारण बताए एक महीने को नी। द्य देवर समाप्त की जा राक्सो है।

या भिन्ता वित्त तभी गान्य होगी, जब द्र अंत भिन्तारो पाप त्यये वे अन्यायिक मुद्रात पर विद्यां रेत प्रयम पर अनुबंध हस्ताधर करके प्रमाणित करेगी, जो सीमात के सीहता को नहीं को बीधत करता हो।

म तुर अध् विवारी भवाषिकालय के सभी विनयमों एवं विविनयमों से शासित होगी, जो महाविद्यालय के वर्मधारियों तो अवना सेवा की कर्ती, वाल चलन एवं अनुगासन स वे संबंध ने प्रभाव जानता हो ।

१ अस्यक्ष के आदेशानुसार।

प्रभारी प्रांपायं. तो । पो । धेअस्त महार्विष्ठ पालयः द्वारिका पराय कित्र मकाविद्यालय विलारापुर, गर्निमिष्ठ । यूक्र कि १०

वृद्धातंन व्याव हिट रामा १०

प्रीतीलीप:-श्रीमाच सांध्य म.प्. उच्य विका अनुदान आयोग भोषाल को भेज वर निवेदन

है कि भिन्धिक्त का अनुमोदन है मिल्यान का कहट करें।

कुल्सा थव - गुरू घासोदास विण्दीविधालय विलासपुर को सुवनार्थ। ए अंशु में त्वारो - भी सलधर प्रसाद मतारो ग्राम पास्ट समोरा तखसीत जांकगोर किलारापुर को सुवनाधि स्वं आवश्यक वार्धवाही हेतु ओकित।

एप वा अपने पद का कार्यभार तीन विद्यस के भीतर गृहण वरें।

द्वारिका पराच कि नजारिकालक



(1020 \$ DEM)

### OFFICE OF THE PRINCIPAL AND SECRETARY, GOVERNING BODY ENATAK MAHAVIDYALAYA: BILASPUR.

QRDER

No. 767 /Nott. /80., dated Bilaspur, the 11th November 1980

Shri K. B. Singh, a cendidate for eppointment, is app-ointed to officiate as Lecturer in Sociology in this college until further orders in the sea le of pay of Re. 620-1500 with usual AD, A. and other allowances, with effect from the 15th November 1980, subject to the following candidates: -

- (1) That hisappointment is subject to the approval of the M.P. Uchcha Shiksha 4 miden Ayog, Bhopal & Revishenker University, Respur,
- (2) That his appointment is approved by the Governing Body, 8 natek Hahavidyalaya, Bila pur.

a nel

(8) That he shifts by the services conditions applicable to the exployees of the Spata k M absvidyadya, Bilespur.

Principal & Ser Etery.

Principal & Ser Etery.

GOVERNING BODY,

Snatak Mahavidyalaya, Bilesp.


No. 767 Est. /80. deted Hisspur, the 11th November1980.


Cop y forwarded to Shri K.B. Singh, Hariyara,

district B ilaspur, for information endre necessary setion.

Principal & Secretary. HOVERNILG HODY,

Castale Manay Ligatagu, Bilaspac









I'RINGIL'AL & TROBETARY, UCVETOILEGE DODY? IN I. VILLEY OFFICE BILLY BILLY andoot.)

### PHORDER.

White 08; Anton Bil ampire, the Sire! Vonat Rumer Patol, The and take for appointment In applitude of the ball of the recommendation of the ball of the things of the ball of the state of the stat Committee, an alaginar in Sactoboro 11 on off alabine capacity, in this collare mutiful the order if the amothered acate of to of the month the contract of the contract o from the wisting Migure tons win jobt to the Collowing doughtions

(1) That the appointment La air Est to the approval of the M. P. Uchoha Shikala Anidan Ayog, Bloom, and the Guru Chardan University, Lionin Pala Islandan

(2) + That the ablides by the betwied conditions applicable to the the bind of the first the first of the college;

The state of the s (Iten Shirld a.) Thought & Secretary, अवस्थापार्थिक स्थि प्रशासन से लिए

वित्राचित्राच्या है। इस इस महिलाह

Lett/83 , dated Bil aspur, the /// Med to 1986

Copy forwarded to Shri Vimal Kumar Patel. Bilespur, for information and noceasory action. He will bleare his duties as a Lecturer immediately, and subject to his agreement to the above terms and conditions. Joining report may also please be submitted in triplicate. Copy to Shri C.S. Patel, Lacturer, D.P. Vipra College,

Bil aspur, for information.

(R.N. Shukla.)

Pincipal Secretary

Same of the Contract

voir of the continue tries

VINAL KOMENTATEL JANUAR TELEFORM THE DATE OF THE REAL PROPERTY. HEU TEEL THUM SIGNATURE

कार्यांनय, प्राचार्य, द्वारिका प्रसाद विष्ठ महाविशालय, विलासक्र, म०५० । अर्थे प्रसाद विष्ठ महाविशालय, विलासक्र

निम्न निधित अन्यार्थियों को बताये गये विषय के क्यांच्याता के पद पर येजनमान 700-40-1100-5-1500 अतेसमेंट-50-1600 मार क्यये पर वेय मंदगार्थ भत्ता पर्व अन्य भत्ता सचित, पदभार कुक्न करने की तिथि से निम्मी नियुषत किया जाता है। कुमांक अन्यार्थों का नाम विषय

। कु साधना बोस । व्याख्याता समाजतास्त्र

ठ॰ वे नियुचित्यां निम्न शतीं के अधीन छोगी ।

म०५० एव्य रिक्षा अनुयान आयोग, भोषाल एसं गुस्धासी दास
 टिक्क विद्यालय, विकासपुर द्वारा अनुमोदन विद्ये थाने उपरान्त
 वी नियुव्दित्या मान्य शेगी ।

2. प्रशासन समिति स्नातक महाविधालय, विलासपूर बारा अनुमोदित होने पर नियुवितया मान्य होगी ।

इस स्मातक मधानिधालय, खिलासपुर से लागू सेवा नतीं द्वारा उपत अन्यायों शासित रहेंगे ।

> प्राचार्य पर्व सचिव, प्रधासन समिति, प्राचिक विकाससुर

पुरक्षांव अहा-ग्रेशा/८४०

विमान -----

। भोगान् सविव, न०५० जन्य शिवा अनुदान आयोग, भोषाल ।

2. बीमान् कुलमित्, गुल्डाग्रीदाम विषयिकाल्य, विकासपुर ।

s. विशा रोजगार अधिकारी, विशासपुर को सुवनार्थ।

4. कुमारो साधना धीत, दारा थी बी के बोत, वदार्टर में 536/4, बार टो प्रत कालीमों, विलासपुर ।

5. भीमती मध् दोरापराच, द्वारा भी पत-बो-दोरावराच, श्रिंप्टो चोफ ध्वीनियर तोई बोला नं 1048, रेल्वे कालानो, चिलासपुर।

को सुबनार्थ पर्ध आव्ययक कार्यदाको हेतु अग्रोकत । ( क

मावार्यं, पर्वं स्विष्ठं, प्रांसनं सीमात्

SADHANA SHOME

BIMAL KUMAR BOSE

0107(1962 Part bent Account Number AVRPS0169E

Signature A





कायां लिय प्राचार्य द्वारिका प्रसाद विष् महाविद्यालय, बिलासप्राम् प्राम् प्राम् । विष् महाविद्यालय, बिलासप्राम् प्राम् । विष् । विष । वि

आदेश

श्री संजय कुमार तिवारी आ त्मज श्री एम पि तिवारी, एम ए , एम पिल सहायक प्राध्यापक श्रीजी हेतु चयनित एवं पैनल में पृथम स्थान होने के कारण इस महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक श्रीजी के रिक्त पर के विरुद्ध वेतनमान 2200-75-2800-100-4000 पृतिमाह तथा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों के साथ उनके पदभार गृहण करने की तिथि से एक वर्ष की परीवेशा अविध पर नियमित रूप से सहायक प्राध्यापक श्रीजी के पद श्रिकः पर निम्नलिखित अनुबन्धों के साथ नियक्त किये जाते है:-

३।३ उनकी जन्म तिथि 100 1065 है तथा उनकी नियुक्ति का अनुमोदन पृथा महाविद्यालय पृशासन समिति अपनी बैठक दिना के ३४६ । 14 10 197 को अपने विषय कृमा के 07 में अनुमोदन किया है। तथा नियमित नियुक्ति स्युक्त संवालक, उच्च शिक्षा विभाग, म०प्०शासन, उनके पत्र कृमा के 1312/13/1/व/96-97/8 1855 दिना के 5040 97 को मान्य विया है।

§2 इनकी सेवाएँ यदि परिवेद्या अविध में असती षजनक पाई गई तो उन्हें इस कार्यकाल में बिना कोई सूचना के सेवाएँ से कभी-भी अलग किया जा सकता है और संतोष जनक परिवेद्या अविध पूर्ण करने पर उन्हें स्थाईकरण की पात्रता होगी।

श्री संजय कुमार तिवारी पद भार गृहण करने की तिथि से एक साल की अवधि में 5 00 रूपये की आइडेम्नीटी स्टाम्म बाण्ड पर सेवा इकरारनामा सम्पूर्ण कर महाविद्यालय में स्थाई प्रति

अस्ति वेदन के लिए पृस्तुत करेगा।

माचार्य अवात्त्व विशेष

द्वारिका प्रसाद विष्ण<u>प्रसामिक स्थाप</u> विलीसपुर मिल्ला

निवर्ति निवे २/पाव) विलासपुर, 25/4/97

प्राप्तिम १००

पृतिलिपि:-

818

838

श्री संजय कुमार तिवारी, बी-1/245 मेवरा प्रोजेक्ट 455 452 जिला बिलासपुर को आवश्यक सूचना एवं कार्यवाही हेतु इस अनुरोध के साथ कि वे महाविद्यालय में अपना कार्यशार 10 मई 97 तक आवश्यक रूपण से गृहण करें। पद भार गृहण करते समय वे अपना समस्त प्रमाण पत्रों की मूल के साथ एक छायापृति महाविद्यालय के परीक्षण रिनरोक्षण के लिए प्रस्तुत करें।

10 do 13

21.4.97 कुल सचिव, गुरू धासीदास वि वि वि विलासपुर यह इनके प्रंकृ 18/97 स्कृतिग्रसंबद्धता वस/95-96 दिनांक 22-11-96 के तारतम्य है आवयश्क सूचनार्थं

838 संयुक्त संवालक उच्च शिक्षा विभाग, अशासकीय संस्थाओं से स्विधित शाखा इ-2/84 महावीर नगर, भौपाल को उनके पत्र कुमान 1312/13/ब/96-97/1855 दिनान 5.4.97 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु श्री संजय कुमार तिवारी के पदभार गृहण करने के पश्चात् उनके कार्यभार गृहण करने का पृति-वेदन के साथ वेतन पची जारी करने के लिए आपको उचित समय पर भिजवाया जायेगा।

> माननीय अध्यक्ष महोदय, पृशासन समिति द्वारिका पुसाद विप् महाविद्यालय को सूचनार्थ

प्राचार्य एवं सचिव क्षारं वर्ष वावर प्शासन समिति, कार कार्य द्वारिका पुसाद विषु महा विश्वासम्बद्धि नराविषाण जिलासपुर।म॰ पु॰ । विकास्य हुव ४०)

गिमदेव// भिष्णी क

848



## कार्यालय प्राचार्य

## द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

## नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री <u>रूपनारायण यादव</u> को डी.पी. विष्र महाविद्यालय में भूगोल विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तो

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) हो तुरी प्रशासन् हा विस्तिलय विस्ति सीप निष् केस्तासिनक्षेत्रीय बिलासपुर (छ.ग.)

दिनांक 16/06/2003

### प्रतिलिपि:

- कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) (2)
- अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) (3)
- विभागाध्यक्ष, भूगोल, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ। (4)
- श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (5)
- ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) (6)

(7)कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर श्क्ल) पानविश्व मुझेलिसम्लूय विलासपुर (छ.ग.)

जायकर विभागः NG0(ए१/X DE/ARIMENT

RUPANARAWAN (ADAV

RADHEY SHYAM YADAY

1H/03/1963 Reunapent Account Number ABPPY4104K

भारत सरकार GOVT. OF INDIA





कार्यालय प्राचार्य

## द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

### नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. एम.एल. जायसवाल को डी.पी.विष्र महाविद्यालय में वनस्पतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्विवतीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्विवतीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

0/0/0/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्रजार्च्याक्सेंचिव हो०वी अवासमहसीमितिलय जिली सीम् विशृं छाडो सिखानिय बिलासपुर (छ.ग.)

olc

पृष्ठांकन क्र. 🕰 - /स्थापना / 2003-04

दिनांक 16/06/2003

### प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

0/0/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राचार्य एवं सचिव
प्रशासन समिति
हो०पी विश्व महाविद्यालय
होजी विश्व महाविद्यालय



88 - 2



### कार्यालय प्राचार्य

### द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003

### नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज को ड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. विवेक अंबलकर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में भौतिकशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्विवतीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्विवतीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

0/10/16/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सुचिव प्रकासम् समिति शेक्षिभित्रप्रकृतिविधालय विकासिक्षम्बर्धास्त्रपृष्टसम्बर्धाः




पृष्ठांकन क्र. ैं -/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

्रन्हें / -(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव प्रशासन समिति

डी.पी.बिप्र महाविद्यालयं बिलासपुर (छ.ग.)







### कार्यालय प्राचार्य

## द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

### नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. तरू तिवारी को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में <u>इतिहास</u> विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 कि वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव प्राचार्य सचिव हो प्राप्त समिनिय हो प्राप्त समिनिय हो प्राप्त समिनिय

of C

पृष्ठांकन क्र. र्डिं-/स्थापना/2003-04

(1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)

(3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(4) विभागाध्यक्ष, इतिहास, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

(5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

aldo

दिनांक 16/06/2003

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्रस्कृतं सचिव डी०वी अस्प्रसम्हानिकान्य । द्वी सीव्हिष् छता सिम्म क्रीय बिलासपुर (छ.ग.) आयकर विभाग भारत सरकार
INCOMETAX DEPARTMENT © GOVT OF INDIA

TARU TIWARI
NAND KISHORE TIWARI
04/08/1970
Permanent Account Number
ACKPT9222D

Who was A als)

Caler Legista & Addition

ons bet

ENDIT DISTE BILLSON

### कार्यालय प्राचार्य

## द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

नियुक्ति आदेश

दिनांक 16/06/2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. कु. सुषमा चतुर्वेदी को डी.पी. विष्र महाविद्यालय में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्विवत्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तो के अधीन होंगी।

- (।) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर श्क्ल) प्राचार्य एवं सचिव हो विश्वित्र महिमिक्क नय ही नीसिम्प म्ह्यस्थित हाग् बिलासपुर (छ.ग.)

दिनांक 16/06/2003

### प्रतिलिपि:

(1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)

अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. निप्र महानिद्यालय, निलासपुर (छ.ग.)

(4) विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।


(5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

🟒 (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर श्क्ल)

डो०गो नियम्प्यहानियी नय विद्यासीप् निष्ठ असामियानय बिलासपुर (छ.ग.)



58 Goz/2013



# द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक | 18/06/2003

# नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री खगेन्द्र कुमार सोनी को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में वाणिज्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्ती के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं स्विव

पृष्ठांकन क्र. 23/2/स्थापना/2003-04 प्रतिलिपि:

दिनांक 16/06/2003

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) (4) विभागाध्यक्ष, ----का रिण-ङण----- को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

010

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)



INCOME TAX DEPARTMENT
KHAGENDRA KUMAR SONI
NANKI RAM SONI

GOVI OF INDIA

14/04/1966
Pormanent Account Number DSXPS7110D
SXPS7110D



# द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003

# नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती सुनीता यादव को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर श्कल) प्राचार्य एवं सचिव प्रशासन्तम् <del>सिति</del>यानय प्री विष्म महस्तिकाको बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 32-1/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003

#### प्रतिलिपि:

- कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) (1)
- संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) (2)
- अध्यक्ष महोद्य, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (3)विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, विलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (4)श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5)

ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) (6)

0/000 (डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

कार्यालयीन नस्ती हेतु। (7)

प्राचार्य स्वंत इी अमिप्रसिम्म सिम्निया नय डीकी विपुरम्हिक्वेशस्त्र

बिलासपुर (छ.ग.)

्रहस्त कार्ड के जोने । याने पर कृपया सूचित करें । तौटाएं : आयकरपैन सेवा इकार्ड, एन एस डी एल तीसरी मजील सफायरचेंद्रस् ग्रेनर टोलफोन एक्स्पेज के नजदीक बानेर, पुना—411045

If this card is lost / someone's lost card is found, please inform / return to licone Tax PAN Services Unit, NSDL 37th Floor, Sapphire Chambers, Acar Bauer Telephone Exchange, Baner Pane 1813 045

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

SUNITA YADAV KALICHARAN YADAV

20/07/1967

Permanent Account Number

AGIPY3409P

भारत सरकार GOVT. OF INDIA





# द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क.----/स्वापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

# नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज को इ. 28 के अंतर्गत गाँउत चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री ए. श्रीराम को डी.पी.विष्ठ महाविद्यालय में वाणिज्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पर पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय हारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भना पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्विधितीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्विधिताय मद से विकलनीय होगा। आपवी मेबा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थाया है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का बेतन देकर समाग की जा मकेंगी।
- यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देव क्षीगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित ग्राहप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक में एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

33-16/16/103

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) स्युतार्धं स्वं मविव रिक्षा अश्वासन समितिः अर्थो और पिष्ठ संग्रतिद्यालय् विलासपुर (छ.ग.)

पुश्चन क चिन्न/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003

- (1) gerufar, ye indian fredamen, bening (is n)
- (2) संचालक, उन्न शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ भारान, धमपुर (छ.म.)
- (१) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, ही.पी. विष महाविद्यालय, विलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाच्याः, -----कार्राच्याः चर्नाः चर्नाः को मृजनार्थाः
- (5) थी एस. चंडचंगी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, सेकड़िया को मृननार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेनु प्रेमिन।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विग्र महाविद्यालय, विलामपुर (छ.प.)

(१) कार्यालयान नम्ना हेतु ।

्ट्यं ि/-(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं मचिव प्रशासन समिति टी पी जिल्लास्टर्ग



de



# द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र .---/स्थापना/2003-04

विनांक 18/08/2003

#### नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज को ड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री जयन्त राय को डी.पी.विष्र महाविद्यालय में वाणिज्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 कि वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

ofc

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) पाचार्य एवं सचिव भाजार्य समिति भिजी भाषन समिति विजीतिक मित्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.म.)

पृष्ठांकन क्र. ेस्थापना/2003-04 प्रतिलिपि :

दिनांक 16/06/2003

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, ---- छा छि । उन्द ---- को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(त्रॅ सार्शंकर क्रम

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्रसार्द्धार्यः सचिव शिक्षाः अवसम्बद्धारिक्षित्व विकासपुर (छ. गं.)



आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

JAYANTA ROY

KHAGENDRA NATH ROY

16/06/1970

Permanent Account Number

ASYPR0364E

Signature

भारत सरकार GOVT OF INDIA







# द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003

#### नियक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज को ड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री <u>मनीष तिवारी</u>को डी.पी.विष्र महाविद्यालय में <u>रसायनशास्त्र</u> विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 कि वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तो के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर श्क्ल) प्राम्भ्र एवं सचिव डी अपी अस्य सम्हा स्वितिनय विद्यासी विम्लासिकानिय बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. रि-/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003

प्रतिलिपि:

(1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)

(3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(4) विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

(5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव

हो ० शी धर्म सहिष्य हो सिंव

विनासिमाधिक्त(क्षाम्)

# द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003

# नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्रीमती <u>रेणु नायर</u> को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में <u>रसायनशास्त्र</u> विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तो के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव डो<sub>॰ नी</sub> प्रशासन समिति जय िडी भी वित्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्र. 184-/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003

प्रतिलिपि:

कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) (1)

संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) (2)

विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ। (3)

श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (4)


ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) (6)

कार्यालयीन नस्ती हेतु। (7)

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

प्राचार्य एवं सचिव





# द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003

#### नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज को ड 28 के अंतर्गत गठित चयन सिमिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती <u>ऊर्जा रंजन सिन्हा</u> को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में <u>अंग्रेजी साहित्य</u> विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

0/0 0003

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव प्राचन समिति

डी०पो० विषे भिह्ने विश्वी भीय विज्ञासपुर छित्ता हुगावेबालय बिलासपुर (छ.ग.)

0/0

पृष्ठांकन क्र. २६६०/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003

- प्रतिलिपि :
- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. निप्र महानिद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी साहित्य, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

<u>Club</u>

(डॉ. उमाशंकर शुंक्ल)

ही भी विष् मुझासिस्तान विस्तासिक्तिस्तान्य विस्तासिक्तिस्तान्य Dr. Obeja Ranjan Su

Aadhar Rard.



#### मारत सरकार

Government of India



ऊर्जा रंजन सिन्हा Oorja Ranjan Sinha जन्म तिथि / DOB : 22/10/1971 महिला / Female



3431 7363 4811

आधार - आम आदमी का अधिकार



#### शास्तीक विशिष्ट पहुंचान शाधिकरण Unique Identification Authority of India

पताः संबोधितः रवि रंजन सिन्हा, ओपीपी ओम रॉयाल्स, बी/8 , फेस 02 OPP.OM ROYALS, 8/8 , PHASE 02 R.K. आर.के. नगर बिलासपुर. विलासपुर(न.नि.), विलासपुर, बिलासपुर, उत्तीसगढ, 495001

Address: W/O: Ravi Ranjan Sinha, NAGAR bilaspur, Bilaspur(m. Corp), Bilaspur, Bilaspur, Chhattisgarh, 495001 Olsinla

3431 7363 4811









# द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

## नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज को ड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री आशीष शर्मा को डी.पी.विष्र महाविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्विवत्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्विवत्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

0/0

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राच्छी पृष्ठिव
हो अस्त्र स्मृतिक । स्मृतिक । सम्

पृष्ठांकन क्र. ेर्ि /स्थापना / 2003-04 प्रतिलिपि :

दिनांक 16/06/2003

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी साहित्य, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

مال

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्रा<del>वर्धा एकं श्रिव</del> क्रीक्केशस्य स्मिक्किन्नय झिलीक्षिम स्वास्त्रिमन्त्री बिलासपुर (छ.ग.)

आयकर विमाग INCOME TAX DEPARTMENT

ASHISH SHARMA PRABHAKAR SHARMA

01/09/1969 Permanent Account Number

DKSPS1864P

भारत सरकार GOVT, OF INDIA

for play

# ब्रारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिमांक | 16/06/2003

### नियुक्ति आदेश

विश्वितद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन सिमिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. <u>एम.एस.तम्बोली</u> को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में <u>राजनीतिशास्त्र</u> विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

16/6/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्रास्मिन्द्रकं अचिव हो ज्पीप्रश्मक्र क्षिक्षिण्तय हिन्दिक्षिक्षिण्य स्ट्रांक्षिक्षकोय बिलासपुर (छ.ग.)

0/0

पृष्ठांकन क्र. नित्र/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003

#### प्रतिलिपि:

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

0/16/6/03


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)
प्राच्यमं स्वांचव
हो०प्रेम्नास्त्रमस्मिति । नव
होन्सीप्रक्रिम्नास्मिति । स्वांसिसी स्वांसिम्ना
बिलासपुर (छ.ग.)



28-14



ANEPT 2677D



(21)

# कार्यालय प्राचार्य ब्रारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक | 16/06/2003

#### नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज को ड 28 के अंतर्गत गठित चयन सिमिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. स्नेहलता द्विवेदी को डी.पी.विष्र महाविद्यालय में गणित विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्विवत्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्विवत्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके बेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

0/01/03

0/0

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव प्र<del>चारक क्रमिति</del> क्रीक्षी क्रिम स्वर्धिक स्थि क्रिक्स स्वर्धिक स्थि

पृष्ठांकन क्र. २५०/स्थापना/2003-04 प्रतिलिपि :

दिनांक 16/06/2003

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, विलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, गणित, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

1616103

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचिष्णं सर्विव डी॰प्रेंशसिन स्थितियः नय डी॰पोंशिक्षं प्रसिवंद्यास्त्र्यं बिलासपुर (छ.ग.)

## द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003

#### नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज को ह 28 के अंतर्गत गठित चयन सिमिति की अनुशंसा स्वीकार करते हैं ए कि श्री आप पाण्डेय को ही.पी.विद्य महाविद्यालय में <u>माइक्रोबायोलॉजी</u> विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकारा एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होना।

olc.

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव प्रशासन समिति हो औं निष्य स्तावद्यालय विकासपुर (स्वावट्यालय विकासपुर (स्वावट्यालय)

पृष्ठांकन क्र. १५८८-/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003

#### प्रतिलिपि :

- (1) कुल सचिव, गुरू धासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोवय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, विलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, ही.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

olio

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य पुतं स्विव क्षेत्रगप्रशासन स्मिनि इतिप्रिम्ह्यसिद्धाल्य विलासपुर (छ.ग.)



Suffortort

# द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क. ----/स्थापना/2003-04

दिनांक <u> 53 1 09 1</u>2003

## नियक्ति आदेश

			-			•
	विश्ववि	द्यालय कालेज	कोड 28 के	अंतर्गत गठित च	यन समिति की	अनुशंसा पर
श्री / व	. श्रीति चंदेल	को	सहायक	प्राध्यापक-प्राणीश	ास्र	पद
का नेत	तमान	2200-4000	एवं म	हाविद्यालय प्रशासन स	मिति द्वारा निर्धारित	मंहगाई भत्ता पर
अस्था	यी रूप से सामान्य	र्ग/अनुसुचित जी	ते/अनुसूचितं ज	नजाति/पिछुङ्ग वर्गे के	रिक्त पद के विरूद्ध/	पद पर कायभाग
ग्रहण व	करने के दिनांक से	नियुक्त किया जा	ता है। यह नियुत्ति	क स्ववित्तीय योजना के	अंतर्गत होंगी तथा इ	त पर होने वाला
व्यय स	ववित्तीय मद से वि	वेकलनीय होगा।	आपकी सेवा श	र्ते महाविद्यालय के निय	यमानुसार तथा निम्न	शर्तो के अधीन
होंगी।					2	
(1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके						
	स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त किया जा सकता है।					
(2)	(2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।					
(3)	(3) कार्यभार ग्रहणोपरांत नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।					
(4)	(4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।					
(5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।						
					208	81-
437 to 442 pt.3-9-03					(डॉ. उमाशंक	
					प्राचार्य एवं र	
					प्रशासन सर्	
					डी.पी.विप्र महा	
					बिलासपुर (र	छ.ग.)
पृष्ठां	कन क्र.  /	स्थापना/2003	-04		दिनांक 💆	310912003

प्रतिलिपि :

कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)

अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **(**4)

कार्यालयीन नस्ती हेतु। (5)

> (डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव प्रशासन समिति डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)



INCOME TAX DEPARTMENT आयकर विभाग SHRITI SOMVANSHI HARI SINGH CHANDEL



GOVT. OF INDIA भारत सरकार



02/08/1973
Permanent Account Number EUEPS6495H



श्रीति सोमवंशी Shriti Somvanshi

WIO: Ravi Singh
14 Dr.sahgal gali veen kunj
107/20 vinoba nagar
19 Bilaspur

Bilaspur Bilaspur Bilaspur



Stall Atm

भारत सरकार

Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No.: 2017/97619/00581

# प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र .--- / स्थापना / 2003-04

विनांक --- 16 6 03 ----

#### नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज को इ 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते दिद्व -- को डी.पी. विष्र महाविद्यालय में -- विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविधालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तो के अधीन होंगी।

- (1) यह िक आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो िक किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके रब्यान पर एक माह का वेतन वेकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार प्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह िक आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर श्क्ल) प्राचार्य एवं सचिव

दिनांक 16 6 0 3

प्रांकन क. 20**4/स्थापना/2**003-04

- कुल सचिय, गुरू धासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- संचालक, उन्न्य शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विभागाध्यक्ष, -----को सूचनार्थ। श्री एस. चंत्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकेडिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ग्रंथपाल, ही.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासेपुर (छ.ग.)

कार्यालयीन नस्ती हेतु।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव डा जी विप्र महाविद्यालय बिलासप्र (छ.ग.)



put beep it timen.

# द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

\_\_\_/स्थापना/2003-04

दिनांक 17/06/2003

# नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए थ्री <u>निधीष चौबे</u> को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में <u>इलेक्ट्रानिक्स</u> विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्घारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

- /स्थापना / 2003-04

दिनांक 17/06/2003

#### प्रतिलिपि:

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोद्य, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, विलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल)

विलासपुर (छ.ग.

(7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

# द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.<sup>5</sup>18\_/स्थापना/|2003-04

दिनांक - 23-6-2003

# नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ./श्री/कु./श्रीमती ----को डी.पी. विप्र महाविद्यालय में ----- विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचित्र incipal प्रशासन क्रमिज़े.P.G. College डी.पी.विप्र महाविद्यान्ता (C. G.) बिलासपुर (छ.ग.)

दिनांक -- 23-6-2002

पृष्ठांकन क्र. चित्र-/स्थापना/2003-04 प्रतिलिपि:

कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) (1)

संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)

(3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(4) विभागाध्यक्ष, ----- को सूचनार्थ।

श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (5)

ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालयीन नस्ती हेत्। (7)

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिविशांncipal

प्रशासन समिति V.P.G. College डी.पी.विप्र महाविधीत्स्य (C. G.)

बिलासपुर (छ.ग.)



आयकर विभाग-INCOME TAX DEPARTMENT

RASHMI SHARMA

GAJANAN SHARMA

21/06/1965

Permanent Account Number

DKEPS6821J

-रिश्म थामि

Signature



भारत सरकार GOVT. OF INDIA





इस का ईके खोने / याने पर कृपया सूचित करें / सीटाएं आयकर पैन सेवा इकाई, एन एन टी एस तीसरी मजीत, सफायर झेबसं बानेट टीलफीत एक्सेंज के नज़दीक बानेट पुना — 411045


Refers card is lost / someone's lost card is found please inform / return to income tax PAN Services Unit, NSDL, 3rd Floor, Sapphire Chambers,

Baner, Pune 411 045

Tel: 91,20-272

721 8081











# द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

नियुक्ति आदेश

दिनांक | 16/06/2003

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. आभा दुबे को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव डी की बिन्दी महाविद् विन स्वक्रीसम्दि छ ग

पृष्ठांकन क्र. रि. /स्थापना / 2003-04

दिनांक 16/06/2003

#### प्रतिलिपि:

(1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)

अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(3)

विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ। (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालयीन नस्ती हेतु। (7)

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राच<del>ार्ख, एकं गर्</del>काव डी०मरास्त्र समितियानय डी मी। निष्मा म्हासं झालमा बिलासपुर (छ.ग.)

(20)



8

# रिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003

### नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री <u>आशुतोष पाण्डेय</u>को डी.पी.विष्र महाविद्यालय में <u>गणित</u> विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 कि वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव

पृष्ठांकन क्र. (02/स्थापना/2003-04 प्रतिलिपि:

दिनांक 16/06/2003

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्रं महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- विभागाध्यक्ष, गणित, डी.पी.विष्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- कार्यालयीन नस्ती हेत्।

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्रा**ट्यां आर्था**चिव डी विश्विक्षका हामिबि नव वित्रपी पिप्र[ उताबियातीय बिलासपुर (छ.ग.)



# द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003

# नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए कु. रजनी कुज्र को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

ولماه

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्र<u>चार्य एवं</u> मचिव हो जो अवध्यासम्सम्बद्धान्य क्रिसिन्य बिलासपुर (छ.ग.)

ofc

पृष्ठांकन क्र. 43-/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003

#### प्रतिलिपि:

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (7) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

ول

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राच्छां खाँचव डो०पेप्रशिक्षनम्हामिकानय खेलीस्ट्रिप्र[मह्निक्यान्ग्र]म् विलासपुर (छ.ग.)



Lugar

## कार्यालय प्राचार्य रेका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, विलासपुर (छ.ग.)

क्र.---/स्थापना/2003-04

दिनांक 16/06/2003


## नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्रीमती शिखा पहारे को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में वनस्पतिशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववितीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तो के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।


(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव प्रजास्त्रा समिति हो हो दिन्य विद्यानम् हो विद्या सिया विन विवासि (क्रिक्मान)

दिनांक 16/06/2003



- कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोद्यं, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) विभागाध्यस, वनस्पतिशास्त्र, डी.पी.विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ। (5) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(7) कार्यालयीन नस्ती हेतुना



16/6/03 (डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव





# द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क. <u>542</u>/स्थापना/2003-04

दिनांक - 23.6-2003

## नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कालेज कोड 28 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ./श्री/कु./श्रीमती -- स्मृति रोनी जिल्ला करत ------ विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर 2200-4000 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तो के अधीन होंगी।

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कालेज कोड 28 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(डॉ. उमाशंकर शुक्त cipal प्राचार्य एवं प्रामिश्न.P.G. College प्रशासन समिति spur (C. G.) डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

Baio 23-6-2002

पृष्ठांकन क्र. ---/स्थापना/2003-04


#### प्रतिलिपि:

- कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) (1)
- संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) (3)
- विभागाध्यक्ष, ---- को सूचनार्थ। (4)
- श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) (6)
- कार्यालयीन नस्ती हेत्। (7)

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव प्रशासन समिति Principal

डी.पी.विप्र महीविद्यालया (C. G) बिलासपुर (छ.पी.)





## द्वारिका प्रसाद विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.<del>---</del>/स्थापना/2003-04

दिनांक 20 1 09 12003

## नियुक्ति आदेश

विश्	वावद्यालय कालज क	ाड 28 क अंतगत गाठत चयन सामात व	ना अनुशासा पर
श्री/श्रीमती तोषि	मा मिश्रा को	सहायक प्राध्यापक-प्राणीशास्त्र	पद
पर वेतनमान	2200-4000	एवं मह्रुविद्यालय प्रशासन समिति द्वारा निर्धा	रेत मंहगाई भत्ता पर
अस्थायी रूप से सा	मान्य/अनुमुचित जातिं/	अनुसूचित जनजाति/पृक्कड़ा वर्ग के रिक्त पद के विरू	द्ध/पद पर कार्यभार
ग्रहण करने के दिनां	क से नियुक्त किया जाता	है। यह नियुक्ति स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथ	ा इन पर होने वाला
व्यय स्ववित्तीय मद	से विकलनीय होगा। आ	पकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा नि	म्न शर्तो के अधीन
होंगी।			

- (1) यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर संमाप्त किया जा सकता है।
- (2) यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
- (3) कार्यभार ग्रहणोपरांत नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (4) यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (5) नियुक्ति आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

ofc

443 to 447 01-20/9/03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव प्रशासन समिति डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

६ ५ न पृष्ठांकन क्र. ----/स्थापना/2003-04 प्रतिलिपि :

दिनांक 20 109 12003

- (1) कुल सचिव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)
- (3) अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- (4) श्री एस. चंद्रवंशी, लेखापाल एवं सुरेश उपाध्याय, रोकड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5) कार्यालयीन नस्ती हेतु।

fied 122:03:03

(डॉ. उमाशंकर शुक्ल) प्राचार्य एवं सचिव

प्रशासन समिति डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)





# डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रदत्त

फोन नं. 07752-424497 . Email- dpvipracollege@gmail.com.

क. / 01 / स्था. / 2017

बिलासपुर दिनॉक 05.10.2017

## नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए श्री विश्वास विकटर को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में, कम्प्यूटर विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर, 15600—39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय—समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर के नियमानुसार, सूचना क्र. 87 / Acod. / 2016 दिनॉक 17.03.2016 के आधार पर अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के विनॉक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

01. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।

02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।

03. कार्यभार ग्रहण करने के, उपरांत कालेज कोड 28 के तहत, निर्धारित प्रारूप में, अनुबंध निष्पादित करना होगा।

04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।

05. नियुक्ति आदेश जारी दिनॉक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

प्राचार्य एवं सचिव प्रशासन् स्मिति प्राचार्य डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर दिनॉक 05.10.2017

पृ.क्र. / **02** / स्था. / 2017 प्रतिलिपि:-

01. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।

04. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान, डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं रोकड़िया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

07. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

Reviewed

प्राचार्य एवं सचिव प्रशासन समिति डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) प्रभाग प्राचार्य डी. पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)











(42)

#### कार्यालय प्राचार्य

# डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नैक द्वारा "A" ग्रेस प्रवत्त

कोन र्ग. 07762-424407 . Email-dovioracollege@unuil.com.

क. / 03 / रथा. / 2017

बिलासपुर विनीक 07.10.2017

## नियुक्ति आवेश

विश्वविद्यालय कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए सुश्री ऋषा हाण्डा को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में, कम्प्यूटर विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर, 15600—39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय द्वारा समय—समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता पर, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर के नियमानुसार, सूचना क. 87 / Acod. / 2016 दिनोंक 17.03.2016 के आधार पर अरथायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनोंक से नियुक्ति किया जाता है। ये नियुक्तियों स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत होंगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी रोवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्तों के अधीन होंगी।

01. यह िक आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो िक किसी भी पक्ष द्वारा एक गांह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक गांह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।

02. यह कि अवकाश एवं अन्य स्विधाएँ महाविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।

03. कार्यभार ग्रहण करने के, उपरांत कालेज कोड 28 के तहत, निर्धारित प्रारूप में, अनुबंध निष्पादित करना होगा।

04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।

05. नियुक्ति आदेश जारी दिनॉक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

प्राचार्य एवं सविव प्रशासन स**भिजिते प्राचार्य** डी.पी.विप्र महाविद्यालय विलासपुर (क्रि.गी.पुर (च.ग.)

विलासपुर दिनॉक 07.10.2017

पृ.क. / ७५ / स्था. / २०१७ प्रतिलिपः –

01. कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।

04. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान, डी.पी.विप्र महाविद्यालय विलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।


05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं रोकड़िया डी.पी.विप्र महाविधालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

07. कार्यालयीन नस्ती हेत्।

प्राचार्य एवं सचिव प्रशासन समिति डी.पी.विप्र महाविद्यालय विकारमञ्जू (द्विग.) डी. पी. विप्र महाविद्यालय विसामपुर (ए.ग.)





## डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नैक द्वारा "A" ग्रेड प्रदत्त

फोन नं. 07752-424497 . Email-dpvipracollege@gmail.com

क. / ५४० / स्था. / २०१७

बिलासपुर दिनाँक 2109.2017

明显12年12年

## नियुक्ति आदेश

विश्वविद्यालयं कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत, गृहित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए डॉ. श्रीमती सुरुवि मिश्रा को डी.पी.विप्र महाविद्यालय में, हिंदी विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर, 15600—39100 के वेतनमान एवं महाविद्यालय हारा समय—समय पर निर्धारित महगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनाक से निर्धारित किया जाता है। ये नियुक्तियाँ स्ववित्तीय योजना के अतर्गत होगी तथा इन पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय मद से विकलनीय होगा। आपकी सेवा शर्ते महाविद्यालय के नियमानुसार तथा निम्न शर्ती के अधीन होगी।

- 01. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- 02. यह कि अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ महाविद्यालय के तियमानुसार देव होगा।
- 03. कार्यभार ग्रहण करने के, उपरांत कालेज कोड 28 के तहन, निर्धारित श्रारूप में, अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- 04. यह कि आपके वेतन निर्धारण के संबंध में प्रशासन समिति का निर्णय मान्य होगा।
- 05. नियुक्ति आदेश जारी दिनॉक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

प्राचार्य एवं सचिव प्रशासका स्थिति प्राचार्य प्रशासका स्थितिकास्य डी.पी.विप्र महाविकास्य बिलासपुर (छ.ग) बिलासपुर दिनॉक 21.09.2017

पृ.क. / पश / स्था. / २०१७ प्रतिलिपि :-

04: कुल सचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ ग) को सूचनार्थ।

02. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

03. अध्यक्ष महोदय, प्रशासन समिति, डी.पी.विष्र महाविद्यालय को सूचनार्थ।


04. विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, डी.पी.विष्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

05. श्री एस. चन्द्रवंशी, लेखापाल एवं शेकडिया डी.पी.विप्र महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

06. ग्रंथपाल, डी.पी. विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

07. कार्यालयीन नस्ती हेतु।

प्राचार्य एवं सचिव प्रशासन समिति डी.पी.विप्र महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग्.) प्रभारी प्राचार्य डी. पी. विष्र महाविद्यालः



अरुग सिंह नोटरी, बिलासपुर (छ.ग.)



## अध्यापन कार्य हेतु अनुबंध पत्र

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार — प्राचार्य डी.पी. विप्र महाविद्यालय, . पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — प्रो.- श्रीमित किरण दुबे उम्र 45 वर्ष, पति श्री दीपक प्रसाद दुबे निवासी— कतियापारा जूना बिलासपुर (छ.ग.) पिन—495001 आधार नं.—951056877942

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिय संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रोफेसर श्रीमित किरण दुबे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 17768 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ.एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार लोकप्रशासन विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकास्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य भी करना होगा।



- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.07.2020 को दो गवाहों के समक्ष स्थान—बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

可可言:- h 1 S.R. Chamilton vometh 2. P.Shamun (Innin do Silva Film) प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर प्राचार्य .....डी.पी.विप्र.मसविद्यालय विलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMP IMPRESSION
मेरे संग्या इस व्यक्षण पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर अस्यपूर्वक कथन आज कथा
और इस दस्तावेज गर इस्ताक्षर/अगूठा किया
अरुण सिंह
नोटरी
विलासपुर (छ.ग.)
0 1 JUL 2020

CF On Rupeer Twolfive affixed 8 Notatiel Start or Rupees 10: affixed I Not attixed

अध्य



F 7 AUG 2022

Arun Kumer Singh Central Notary Bilespur (C.G.)

## (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय
 पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व
 जिला – बिलासपुर (छ.ग.)



द्वितीय पक्षकार

श्री प्रदीप कुमार जायसवाल उम्र 32

पिता : श्री मोहितराम जायसवाल

निवासी— 102, जेंस अपार्टमेंह, जरहाभाठा

जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

पिन - 495001

आधार नंबर : 245191173107

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :--

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य. एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री प्रदीप कुमार जायसवाल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्याषक के षद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 13957 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाम प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन शास्त्र विमाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- उ. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यो से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

1 27 (42) (6 2) (60) ST. 27 27 (60)

2 (83) Manish Sahy

ANNU STORY STORY

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

1 1 AUG 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
EFORE ME BY THE WITHIN NAMED

IGNED I THUMB IMPRESSION

शे समभ इस इत्यावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
परकर/पढ़वाकर अपप्यपूर्वक कथन साज कहा
परकर/पढ़वाकर अपप्यपूर्वक कथन साज कहा

Arun Kumar Single Central Notary Bilaspur (C.G.) CF On Rupees TwolFive affixed & Notatial Stamp of Rupces 101-

## अध्यापन कार्य हेत्

(Contract for Towning)

# 7 AUG 2022

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

श्री यूपेश कुमार उम्र 29

पिता : श्री राम कुमार

निवासी— मकान नंबर 5, वार्ड नंबर 1, भरेवापारा

जिला- कवर्धा (छ.ग.)

पिन - 491559

आधार नंबर : 895795017218

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित सर्ती वे तहत् निष्पादित किया जा रहा है :--

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता हैं एवं हितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये. संविद्या प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री यूपेश कुमार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 13957 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.षी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार इतिहास विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्यं करना होगा।



- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

1 1 10 (116 2/164)
2 2022

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समझ इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति नै
पहंकर/पढ़वां र शपधपूर्वक कथन आण अल

Arun Kurnar Singh
Central Notary
Bliaspur (C.G.)
Arun Kurnar Singh

# Rupees Twelffive affixed affial Stamp of Rupees 10/6 / Not affixed

Arun Kumar Singh Central Notary Bilespur (C.G.)

#### अध्यापन



1.8 MIN 2022

#### (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार – प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार – श्री बृजेश कुमार उम्र 29

पिता : श्री जोहन प्रसाद

निवासी- वार्ड नं.4, लीलामंडली चौंक भिलौनी

जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

पिन - 495554

आधार नंबर : 649015047066

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है :--

- ग्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार श्री बृजेश कुमार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर सांईस विमाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकिस्मक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 18.06.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, मंख, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

Trainer - Tor of Class - The Manish Saha

payor to

WHITE.

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

(76) g (g)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Bert O

1 8 JUN 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
बेरे स्टान इर दलावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पहार /पहचाकर संबंधपूर्वक क्यन आज प्या
और क्या करवाकेज वर स्वाधार/अंगुठा किया।

Arun Kumar Singh Contral Notary Bilespur (C.G.) CF On Rubser Twoffive affixed & Notatial Stamp of Rubees 101affixed | Not affixed

अध्यापन व



7 1 AUC 2022

Arun Kumar singh Central Notary Bilaspur (C.G.)

#### (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला – बिलासपुर (छ.ग.)



द्विलीय पक्षकार

श्री ईश्वर प्रसाद सूर्यवंशी उम्र 32

पिता : श्री जीतराम सूर्यवंशी

निवासी- वार्ड नं. 18 शारदा मंगलम्, डॉ.राजेन्द्र प्रसाद वी

जिला- जांजगीर-चांषा (छ.ग.)

षिन - 495668

आधार नंबर : 426897205738

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के व तहत् निष्पादित किया जा रहा है :--

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री ईश्वर प्रसाद सूर्यवंशी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 13957 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर सांईस विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छ्या से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त


 प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

1: 1 AUG 2022

SOLEMNLY AFFIRED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED I THUME IMPRESSION
देरे तमस दा रातायेश पर संबंधित व्यक्ति ने
पहंकर, पढ़वानार रापध्युर्वित कथन आज कहा
और इस दस्तावन पर हस्ताकर/अंगूठा किया।

Arun Kumar Singh Central Notary Bilaspur (C.G.)





1 AUG 2022

#### (Contract for Teaching)

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

कु. प्राची तिवारी उम्र 30

पिता : श्री युगलकिशोर तिवारी निवासी- कुम्हारपारा जरहाभाठा जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

आधार नंबर : 263801728835

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :--

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार कु. प्राची तिवारी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आर्दश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वैतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार बायोटेक्नोंलॉजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी
   11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, मय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

2 manish Sahy

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

JAUG SULL

1: 1 AUG 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED I THUMB IMPRESSION
देरे समझ इरा उस्तावेण पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर अहवायन शपरपूर्वी, क्या अस्त अति
अगिर इस दस्तावेण पर स्ताविक जिल्ला किया।
Arun Kuma Singh किया।
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

CF On Rupses Two/Five affixed & Notatial Stamm et Rupees 19/affixed / Not affixed

Arun Kumar Singh 3122
Central Colory
Bilaspur (C.S.)



1. AUG 2022

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

श्रीमती अनुपमा पाण्डेय उम्र 27

पिता : श्री उमाशंकर पाण्डेय

निवासी- हाऊस नंबर 36, बिलासागुढ़ी पुलिसलाईन

जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

पिन - 495001

आधार नंबर : 593770494706

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :--

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्रीमती अनुपमा पाण्डेय को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर सांईस विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी
   11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यो से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :--

~17177 -1759 ≥11

<u> इं. मनीब निवारी</u>

1 AUG 2022

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

0070m

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
DEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
समझ इस प्रसाविज पर संबंधित व्यक्ति ने
कार/पढ़वाकर अवध्यूर्वक कथन आज कहा
आर इस दस्ताविज पर इस्तासर/अंगूठा किया ।

Arun Kumar singh Central Notaty Bilaspur (C.G.)

11 | service mass / 1 | 11



#### (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

कु. वर्षा सिंह उम्र 27

पिता : श्री हिरेन्द्र कुमार

निवासी-एम.क्यू. 13, वार्ड नं. 13 दीपका

जिला- कोरबा (छ.ग.)

पिन - 495452

आधार नंबर : 983270833869

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार कु. वर्षा सिंह को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर सांईस विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छ्या से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

1 AUG 2022

SOLEMALY ATTOMED OR SWORM BEFORE ME SY THE VITHIN NAMED SIGNED I THUMS IMPREDGIVE इ. तमा इ. नावंत या संवीता उद्देश ने परस्य विद्यान स्पर्येष के कर् और इस दिलावण पर दिलावर कर दिना । Arun Kilmar Singh

Central Notary Bilaspur (C.G.) CF On Rupees TwolFive effixed

B. Notatial Stamp of Rupees 401B. Notatial Stamp of Rupees

B. Notatia



(Contract for Teaching)

E 2 AUG 20221

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला – बिलासपुर (छ.ग.)



द्वितीय पक्षकार

कु. अंजली सोना उम्र 28
पिता : श्री गुरूबारू सोना
निवासी— तहसीलदार गली, हेमूनगर
जिला— बिलासपुर (छ.ग.)
पिन — 495004

आधार नंबर : 428857985712

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तो के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार कु. अंजली सोना को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.

आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।

यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर सांईस विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी
अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।

5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा। 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 02.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छ्या से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह:-

प्रथम पक्षकार का हस्तामार

2 51. Hard Family 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
EFFORE ME BY THE WITHIN NAMED
EGNED ITHUMB IMPRESSION
EGNED ITHUMB IMPRESSION

र तमम इर बरतावंश पर संविधत व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाहर त्रपथावंकि क्यान आण कहा
पढ़कर/पढ़वाहर त्रपथावंकि क्यान आण कहा
अतर इस दस्तावंश पर हस्तावंर/क्येंग्रेंग किया।

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Arun Kumar singt Gentral Notary Bilaspur (C.G.) S Note is 300 Shixed Salves 101.



1 AUG 2022

प्रथम पक्षकीरं elve

(Contract for Teaching)

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार – कु. नीलम सिंह सिंघेल उम्र 27

पिता : श्री चंदन सिंह सिंघेल

निवासी— अशोक नगर, सरकण्डा

जिला— बिलासपुर (छ.ग.)

पिन – 495001

आधार नंबर : 653335848783

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :--

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार कु. नीलम सिंह सिंघेल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर सांईस विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकिस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।





- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी
   माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यो से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह:-

2 डां मनींच निवारी

1:1 AUG 2022

en Funly Affirmed or Sworn

अहं Me By The WITHIN NAMED
अहं ME BY THE WITHIN NAMED
अहं में अपना किया महीका व्यक्ति ने
का प्रवाका महीका व्यक्ति ने
का प्रवाका पर क्रिया किया।
किया पर्वाका पर क्रिया ।
Arun Kumar cingh

Bilespair (C.G.)

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

Ct On Rupere fundtive affired and artist Stand a Rupers in.



# AUG 2022"

Arun Kumar Singh

(Contract for Leaching)

प्रथम पक्षकार —

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

श्रीमती अभिलाषा सिंह ठाकुर उम्र 27

पिता : श्री सी.एस. ठाकुर

निवासी- महर्षि स्कूल रोड, मंगला

जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

पिन - 495001

आधार नंबर : 475321275009

ARUM AUMAR
SINGH
BILASPUR (C.G.)
Regd. No. 72228
Ex. Dt. 05101/2025

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तो के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :--

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्रीमती अभिलाषा सिंह ठाकुर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर सांईस विमाग में संविदा सहा.प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकिस्मिक अवकाश भुगतान सिहत प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।
- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यो से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भयं, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

e m

r. 1 AUG 2022

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Arun Kumar Singh Central Notary Bilaspur (C.G.)

OF On Bureer Truntile affixed Notatial Stall & St Rupoes 101- अध्यापaffixed | Not affixed

Bilaspur (C.G.)

## (Contract for Teaching)

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय प्रथम पक्षकार पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

श्री रूपेन्द्र कुमार शर्मा उम्र 36 द्वितीय पक्षकार पिता : श्री कृष्ण कुमार शर्मा

निवासी- मकान नंबर 333, नहरपारा, भदौरा वार्ड नं.18

जयरामनगर, जिला– बिलासपुर (छ.ग.)

पिन - 495550

आधार नंबर : 4548083213051

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तो के तहत्ं निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

यह कि द्वितीय पक्षकार श्री रूपेन्द्र कुमार शर्मा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त् प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।

- यह कि द्वितीय पक्षकार राजनीति शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्रार्ध्वापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्घारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकरिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



1 AUG 2022

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छ्या से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह:-1 7/20/ प्रतिष्ठि स्वित्र 2 किए क्वार्राडर ८०५८

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

► 1 AUG 2022

CF On Rupere funifive affixed a Motalial State of Rupers and



1. AUG ZUZZ

Arun Kumar Singh Central Actary

#### (Contract for Teaching)

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार — श्री दीपक कुमार कश्यप उम्र 26

पिता : श्री मनीराम कश्यप

निवासी— 351, ग्राम— घिवरा,

जिला— जांजगीर—चांपा (छ.ग.)

पिन — 495661

आधार नंबर : 919930534708

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री दीपक कुमार कश्यप को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्राणीशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।





- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी
   11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-१ अग्रीशी - पन्द्र १ इति

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

2 र्डाः भनीय ह

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
GIGNED / THUMB IMPRESSION
दें समझ इर स्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर श्रापथपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताहर/जंगूठा किया ।

1 AUG 2022.

Arun Kuma: Singh Central Notary Bilaspur (C.G.) द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Beepak



F 1 AUG 2022

Arun Kumar Singh Central Notary Bilakeur (C.G.)

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - श्री मोतीलाल पाटले उम्र 37

पिता : श्री किशुन राम पाटले

निवासी- 53, वार्ड नं. 3, मोहनपुर पो.फुलवारी

जिला- मुंगेली (छ.ग.)

पिन - 495115

आधार नंबर : 460943555123

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :--

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री मोतीलाल पाटले को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार वनस्पति शास्त्र विमाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यो से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :--

**1** AUG 2022

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

SOLEMNLY ASSIGNED OR SWORM BEFORE ME BY THE MICHINI NAMED SIGNED I THUMB IMPRESSION देरे समक्ष हर, त्याचेत व संतिवत प्राध्या ने पहकर, प्रथम : ारापृतेत कारत जारा कहा

और इस दल्लावंज पर हस्तावर जिल्ला किया ।

Bliaspur (C.G.)

CF On Runghe TwolFive affixed



1 AUG 2022

on Knma. eing (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार **७** । ३६<u>० । ।</u> प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - श्री अजीत कस्त्रिया उम्र 28

पिता : श्री रामझूल कस्तुरिया

निवासी- कस्तुरबा नगर

जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

पिन - 495001

आधार नंबर: 409249619894

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :--

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री अजीत कस्तुरिया को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार वनस्पति शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी
   माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के खेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह:-

2 डां भनेच निवरी

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समक्ष इस वस्तावेल पर संवंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर आपयपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेल पर इस्ताक्षर/अंशुठा किया।

Arun Kumar Kingh Central Notary (C.G.) प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

(252 51)

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर





# CF On Rupers TwolFive affixed Notatial Stamp of Rupees 10! Affixed I Not affixed Arun Kumar Singh Central Notary

Filaspur (C.G.)

अस्या पाना TEN PUPPES - 2

- 2 AUG 2022

(Connact for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

श्री गेंदलाल बंजारे उम्र 30

पिता : श्री खिलावन बंजारे

निवासी- वार्ड नं. 05, पुटपुरा बेमेतरा

जिला- बेमेतरा (छ.ग.)

पिन - 491340

आधार नंबर : 964951794063

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तो के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

यह कि द्वितीय पक्षकार श्री गेंदलाल बंजारे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के

आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन

10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.

आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।

यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विमाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।

 यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।

5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकिस्मिक अवकाश भुगतान सिहत प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।




- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी
   11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 02.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

2 <u>5i</u>. मनीव दिवारी हा 2 AUG 2022 द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



अर्था ( Arun Kumar ¢ingh Central Notary Bilaspur (C.G.)

# CF On Rupser Two/Five affixed & Notatial Stamp et Rupees 10/affixed / Not affixed



आ

Arun Kumar Sinoh Central Hotary Bilaspur (C.G.)

# (Contract for Teaching)

1. 1. AUG 2022

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला – बिलासपुर (छ.ग.)



द्वितीय पक्षकार

श्री सर्वेश दीप उम्र 26

पिता : श्री भगवान दीन

निवासी- हसबेड़ा चौक, आजाद चौक, छुरीकला

जिला- कोरबा (छ.ग.)

पिन - 495450

आधार नंबर : 737532490467

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तो के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री सर्वेश दीप को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहा.प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी
   11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह:-

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

2 ..... 31. मनीच निवारी

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

1 1 AUG 2022

COLEMNLY AFFIRMED OR SWORN DEFORE ME BY THE WITHIN NAMED SIGNED / THUMB IMPRESSION

दी, समक दी, वितिष्टे वि श्रिक्षेत स्थित ने पर्यप्रम्/पर्यक्षेत्र विशेष विकास वितिष्टे क्षित्र । अस इस देशकान विकास स्थितिक वित्र क्षेत्र क्षेत्र ।

> Arun Kuma, singh Cemral History Bilaspur (C.G.)



CF On Rupees TwolFive affixed a notalial Stamp of Rupees 101.



1 AUG 2022

Arun Kuma eingh Central News (C.O.) Bilaspur (C.O.)

## (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार —

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला – बिलासपुर (छ.ग.)



द्वितीय पक्षकार

कु. शिखा पाण्डेय उम्र 26

पिता : श्री रविशंकर पाण्डेय

निवासी- संत कबीरदास महिमा नगर सिरगिट्टी

जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

पिन - 495004

आधार नंबर : 850098531837

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :--

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार कु. शिखा पाण्डेय को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  - यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकिस्मिक अवकाश भुगतान सिहत प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गान। भिष्ठार /

1 - 1 AUG 2022


22

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
भैरे समस इस परतावेज घर संबंधित व्यक्ति ने
पहाल / गहरू हर परतावेज घर संबंधित व्यक्ति ने
पहाल / गहरू हर समस्य पर इस्तावर/हेंडूज किया ।

Arun Kumar Singh Central Notary Bilaspur (C.C.) थम पक्षकार का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Bardy





Arun Kumar eingh Central Notary Bilaspur (C.G.)

## (Contract for Teaching)

5: 2 AUG 20227

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार – श्री दिव्यांशु स्वर्णकार उम्र 24

पिता : श्री धनेन्द्र कुमार स्वर्णकार

निवासी- 101, वार्ड नं. 10 सोनार गली अकलतरा

जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

पिन - 495552

आधार नंबर : 941641096363

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :--

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री दिव्यांशु स्वर्णकार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 02.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

1 व्याराम - पान्यवशी

2 डां. भमेरच तिवसी

- 2 AUG 2022

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

TON MASS TO BE

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE MITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
देते समस्र इतः उत्तावेच पर संबंधित व्यक्ति वे
पहारा/पढ़वातर शपश्यूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर इस्तावर/ाहार किया ।

Arun Kumar Awah Central Krist Bilasput (C. ) CF On Rufcf """ of Flv6 affixed a Notatial Stamp of Rupees 10/affixed / Not affixed



Arun Kumar Singh Central Actarv Eliashur (C.C.) प्रथम पक्षकार

(Contract for Teaching)

\_ 1 AUG 2022

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार – श्री प्रकाश चर्तुवेदी उम्र 25

पिता : श्री घनश्याम बिहारी चर्तुवेदी

निवासी- विष्णु चौंक, यादव मोहल्ला तिफरा

जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

पिन - 495001

आधार नंबर : 932566213506

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तो के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री प्रकाश चर्तुवेदी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।







7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

1 व्याग्तम् - यन्द्रवृत्ती

2 \_\_\_\_\_\_ डां भनीप न्धारी प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

757-Y12

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

- 1 AUG 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
देर समक्ष इर दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति वे
प्रकर/पढ़वाकर शपध्यूर्वक कथन आज कहा
जीर इस दस्तावेज पर इस्ताबर/अंगूडा किया।

Arun Kumar Singh Central Notary Bilaspur (C.G.) Arun, Kumar Singh Central Notary Bilaspur (C.G.)



CF On Rupeae Two/Five effixed & Notatial Stamp of Rupees 10/affixed I Not affixed



1. 1 AUG 2027

## (Contract for Teaching)

Arun Kumar Singh प्रथम पक्षका Central Cotary Bilespur (E. प्र

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

कु. कांची बाजपेयी उम्र 22

पिता : श्री विकास कुमार बाजपेयी

निवासी- वार्ड नंबर 17, निरंकारी भवन इमलीपारा

जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

पिन - 495001

आधार नंबर : 712169354380

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :--

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार कु. कांची बाजपेयी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



- वह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी
   11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये तांकिं सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

TITELEN CONTRACTOR Sahn

T: 1 AUG 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे सनस प्रा वस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर अपध्यूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर इस्ताहर/अंजूठा किया :

Arun Kumar Singh Central Notary Bilaspur (C.G.) प्रथम पक्षकार् का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

FIVE RUPEES

FIVE PUPEES

& Notatial Stamp of Rupees 196- August affixed / Not affixed

Arun Kumar Singh Central Notary प्रथम पुक्षकार्या (Ç.G.)\_ (Contract for reaching)

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार -

श्री जयसन सांकुट्टी उम्र 32

पिता : श्री के.जी. सांकुट्टी

निवासी- एम.आई.जी. सी-26 नेहरू नगर

जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

पिन - 495001

आधार नंबर : 557829047169

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :--

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री जयसन सांकुट्टी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहा.प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।





- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 22.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह:-1 ्रागराम — यन्द्र प्रदा

Ar Cand

2 2 AUG 2022

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

SOLEMNLY AFFIRM OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB MAPRESSION

मेरे समक्ष का जाविज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाजर आवश्यकिक कथन आज कहा
पढ़कर/पढ़वाजर आवश्यकिक कथन आज कहा

पढ़कर/पढ़वाजर आवश्यकिक कथन आज कहा

Arun Kumar Singh Central Notary Bilaspur (C.G.)



Artin Kumar Singh Central Notary Bilaspur (C.G.)



1 AUG 2022

## (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार - प्राचार्य,

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व


जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - श्रीमती ज्योति तिवारी उम्र 38

पिता : हेमूप्रसाद दुबे

रामश्याम कुंज गोड़पारा गोलबाजार


बिलासपुर, जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001



- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संयिदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्रीमती ज्योति तिवारी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार हिन्दी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।



प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Z



Arun Kuma Notary

Central Notary

CF On Rupers Two/Five affixed 3 Netatial Stamp of Rupees 10/effixed / Not affixed



#### Arun Kumar Singh Central Hetery Bilespur (C.G.)

#### (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य, डी.पी. विष्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला – बिलासपुर (छ.ग.)



द्वितीय पक्षकार

श्री भागवत कौशिक उम्र 30

पिता: श्री जसकरन कौशिक

निवासी- चौधरी गली, इमलीभाठा बंधवापारा सरकण्डा

जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

पिन - 495001

आधार नंबर : 610614227788

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :--

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री भागवत कौशिक को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।

यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।

- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी
   11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

m.

गताइ :--

1 2/0/</14 -4-3931

<sup>2</sup> जा मनीष निवारी

T: 1 AUG 2022

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

025 Apr

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Bropsol

SOVI OF

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
बेरे समक्ष इर इस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पहंकर/पड़्या के स्वयंपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अगूठा किया।

Arun Kumar Singh

अध्यापन का



7' AUG 2022

Valle Krim's Horsel

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला – बिलासपुर (छ.ग.)




द्वितीय पक्षकार

कु. सपना मिश्रा उम्र 27
पिता : श्री केशरी कुमार मिश्रा
साहू मोहल्ला छुरी कटघोरा कोरबा
जिला— कोरबा (छ.ग.)
पिन — 495450

आधार नंबर : 881650170512

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार कु. सपना मिश्रा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।



- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी
   माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

West Co

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

- Sp

r 1 AUG 2022



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION

शे समझ इर दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़वाकर शपयपूर्वक कद्यन जाज पहा
और इस दस्तावेज पर इस्ताक्षर/अंगूज किया।

Arun Kumar Singh Central Notary Bilaspur (C.G.) CF On Rubers TuiciFive affixed

Rupees 101.

Rupees 101.

Rupees 101.

Rupees 101.

अध्यापन



Arufi Kumar Singh Behtral Notary Bliasput (C.G.)

# (Contract for Teaching)

L 1 AUG 2022 .



प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

कु. वर्षारानी दुबे उम्र 27
पिता : श्री बालमुकुन्द दुबे
निवासी–वार्ड नंबर 2, खरौद जांजगीर
जिला– जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
पिन – 495556

आधार नंबर : 554978884979

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :--

 यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।



यह कि द्वितीय पक्षकार कु. वर्षारानी दुवे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।

- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार भौतिक शास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।

- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी
   11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, मय, दबाव या प्रलोभन के खेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-1 <u>अगाराम -</u>पन्तेगः।

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Si. HAIN MART

1 AUG 2022

SOLEMHLY AFF

SOLEMNLY AFFIRM OR SWORN

BEFFORE NE BY THE WITHER NAMED

SOURD I HUMB IMPRESSION

TO STATE ST. SPENDER OF BETTER OF THE STATE OF THE S

Arun Kinner Singh Central Morary Bilaspur (C.S.) On Rupeer Twelfive affixed On Rupeer was Rupees 10/ GEZI bexitts fold | bart





T: 7 AUG 2027

Arun Kumar Singh Central Notary Bilaspur (C.G.)

(Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

श्रीमती आभा बाजपेयी उम्र 42 पति : श्री ज्योति कुमार बाजपेयी निवासी- कतियापारा, जुना बिलासपुर जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

आधार नंबर : 260419933982

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्ती के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि दितीय पक्षकार श्रीमती आभा बाजपेयी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार अर्थशास्त्र विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भूगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।





- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी
   माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें। उपर्युक्त

गवाह :-

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

<sup>2</sup> डां- मनीच क्विति 1: 1 AUG 2022

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMEO
SIGNED I THUMB IMPRESSION

हैं, सम्भ का पतावेग पर संबंधित व्यक्ति ने
पहकर/पढ़वा,,( प्राथपूर्वक कृथन साध, कर्ता
और इस दस्तावेण पर हस्ताक्त्/आंगूज किया।

Arun Kumar Singh Ceurral Motary Bilascon (1.63.) CF On Rupees Two/Five affixed & Notatial Stamp of Rupees 10/. Caffixed / Not affixed



1:3 AUG 2022

Arun Kumar Singh Central Notary Bilaspur (C.G.)

#### (Contract for Teaching)

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - श्री दीपांक गंधे उम्र 24


पिता : श्री दीपक गंधे

निवासी- न्यू कन्स्ट्रक्शन कॉलोनी

जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

पिन - 495004

आधार नंबर : 536461245613



- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री दीपांक गंधे को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार अर्थशास्त्र विभाग में संविदा सहा.प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुवंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 03.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-१ व्यगराम - यन्द्रवंडी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

2 जं मनीय निवासी

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर



SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED (अनावाद IMPRESSION
देरे समध्य अवविद्या पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़काल अपवादक कथन जान कहा
और इस दस्तावेन पर हस्ताक्षर/डागूठा किया।

Aryn Tolmar Singh Central Notary Bhaspur (C.G.)









Arun Kumar Singh Central Notary Bilaspur (C.G.) प्रथम पक्षकार

#### (Contract for Teaching)

2 3 AUG 2022

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला – बिलासपुर (छ.ग.)


द्वितीय पक्षकार

श्रीमती जीवन प्रवा मोहन्ती उम्र 29 पिता : श्री गगन कुमार मोहन्ती निवासी– दिव्या परिसर लिंगियाडीह जिला– बिलासपुर (छ.ग.)

पिन - 495006

.

आधार नंबर : 612328210257



- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्रीमती जीवन प्रवा मोहन्ती को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन शास्त्र विभाग में संविदा सहा,प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी
   भाह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से अरांतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अत यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 23.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

101711 -4029211

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

र्शेः मनीज तिवासी

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

F THE TOTAL OF THE THE THE TOTAL THE TREESTON

F THE TOTAL THE SECURITY OF THE THE TREESTON

FOR THE TOTAL THE THE THE TREE THE TREESTON

FOR THE TOTAL THE THE TREE THE TREE

SOLEMULY AFFIRMED OR SWORN
SEFORE ME BY THE WITHIN NAMED

Arun Kumar Singh Central Notary Bilaspur (C.G.)



Bilaspur (Cotary





(Contract for Teaching)

2 3 AUG 2022



प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला – बिलासपुर (छ.ग.)



द्वितीय पक्षकार

श्री टीकम सिंह राजपूत उम्र 24
पिता: जागेश्वर सिंह राजपूत
सी.एम.डी. चौंक विद्या नगर
बिलासपुर, जिला— बिलासपुर (छ.ग.)
पिन — 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :--

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार श्री टीकम सिंह राजपूत को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार गणित विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी
   11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 23.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छ्या से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

1 277777 -4-3921

2 डा- मनीच तिवसी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Dono



2.3 AUG 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED THEMS IMPRESSION

भैरे तन्य पर्वाविष पर संविधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़बाजर शपद्यपूर्वक कथन माज कहा
खौर इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अगूठा किया।

Arun Kemar Ciagle Central Note: Bilaspur (C.G.)

2 4 AUG 2022

# (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

श्री देव कुमार उम्र 26

पिता : श्री सुन्दरलाल घृतलहरे

निवासी– निराला नगर, हेवन्स पार्क हॉटल के सामने


जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

पिन - 495001

आधार नंबर : 769064765461

उपरोक्त अनुबंघ पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार श्री देव कुमार को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्राणी शास्त्र विभाग में संविदा सहा.प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी
   11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यो से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 24.08.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-१ व्यागराम् - ५-३० ३१

ज्ञाः मनीय न्विही

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Dokume

2 4 AUG 20221

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWURN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED I THIER IMPRESSION
मेरे समझ का करें। पर संबंधित व्यक्ति ने
पढ़कर/पढ़का व अपयुद्धक कथन जाज करा
जीर इस दस्तावंज पर इस्ताक्षर/अंगूठा किया।

Arun Kumar Singh Central Notary Pilaspur (C.G.)





2 SEP 2022

## (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार — प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला — बिलासपुर (छ.ग.)



द्वितीय पक्षकार – कु. निधि दानीकर उम्र 24 पिता : विजय दानीकर

वार्ड नंबर—3 महामाया पारा रतनपुर, जिला— बिलासपुर (छ.ग.)

पिन - 495442

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तो के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार कु. निधि दानीकर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार गणित विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- उ. यह िक द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकिस्मिक अवकाश भुगतान सिहत प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुयंघ पत्र निष्पादन तिथि से आगामी
   11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना दैकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 02.09.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

1 128) 4(16 2(16) 2 mansch Sahn प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

V:2 SEP 2022

BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED

BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED

SIGNED ITHUMB IMPRESSION

SIGNED ITHUMB IMPRESSION

THE TRITION OF TRITION AND THE TRITION OF TRITION O

Arun Kuma Notaly Central Notaly Bilaspur (C.G.) CF On Rupées Twolfive affixed

& Notatial Stamp of Rupees 10!

& Notatial Not affixed

Arun Kumar Sing

Arun Kumar Singh Central Novary Bilaspur (C.G.)



1 5 SEP 2022

## (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला – बिलासपुर (छ.ग.)



द्वितीय पक्षकार

कु. रोशनी सोनी उम्र 25

पिता : मुरलीधर सोनी
पुराना पावर हाऊस, देवरीखुर्द
बिलासपुर, जिला– बिलासपुर (छ.ग.)
: पिन – 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :--

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार कु. रोशनी सोनी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार माइक्रोबायोलॉजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 15.09.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छ्या से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-1 *स्रागराम* - 4 - 39 शी

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

2 <u>डां.</u> धनीव निवारी

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

मेरे समक्ष इस दस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने पढ़कर∕पढ़वाइर शपथपूर्वक कथन आज करा और इस दस्तावेज पर इस्ताक्षर∕जंगूठा किया ।

> Arun Kumar Singl Central Notary Bilaspur (C.G.)

1 5 SEP 2023

SF On Rupees Two/Five affixed & Notatial Stand of Rupees 10!affixed / Not affixed

CANCELLED पीच रापने FIVE PUPEES

F SEP 2022

Arun Kumar Singh Central Notary Bilaspur (C.G.)

#### (Contract for reaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

श्री पुरुषोत्तम चन्द्राकर उम्र 26 पिता: श्री संतोष चन्द्राकर निवासी- नृतन चौक, सरकण्डा जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

आधार नंबर : 409148669903

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री पुरुषोत्तम चन्द्राकर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार रसायन शास्त्र विभाग में संविदा सहा.प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकरिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 01.09.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, मय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

- 1 SEP 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWOTH BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED SIGNED I THINKS IMPRESSION नावंज गर संबंधित व्यक्ति ने पहंकर/पहराकते अपस्पूर्वतः कथन आज कहा और इस बस्तायज पर हस्ताधर/अंगूठा किया ।

Arun Kumar Singh

#### CF On Rupeer Tac/Five affixed & Notatial Stamp of Rupees 10/affixed / Not affixed

Arun Kumar Singh Central Notary Bilaspur (C.G.)



1:2 SEP 2022

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय पराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

प्रथम पक्षकार

क्. सुनंदा सोनी उम्र 29 पिता: दिनेश सोनी ग्राम-बलौदा. बलौदा, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.) पिन - 495559

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार कु. सुनंदा सोनी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतू नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 11256 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार कम्प्यूटर सांईस विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 02.09.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छ्या से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह:-1211/17

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर Sunganda

1:2 SEP 2022'

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORM BEF I'VE ME BY THE WITHIN NAMED SIGN LO L'HUMB IMPRESSION श्री जनस इत अलावेश शर तंत्रीयत व्यक्ति <del>है</del> पहुंकर, पढ़ेवा हा अपर्श्युक्त कृत्यन अस्त कर्न और हत दस्तावेंग पर एस्ताकर/जेंदूड किया ।



4 SEP 2022

(Contract for Teaching)

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

कु. शुभानी सिंह ठाकुर उम्र 26

पिता: श्री विजय सिंह ठाकुर

निवासी- सिटी कोतवाली के पीछे, रोड नंबर 2 तेलीपारा

जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

पिन - 495001

आधार नंबर : 513625687365

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तो के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

यह कि द्वितीय पक्षकार कु. शुभानी सिंह ठाकुर को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।

- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार बायोकेमेस्ट्री विभाग में संविदा सहा.प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



- यह कि प्रथम प्रतकार एवं विकास प्रतकार का यह अनुबंध एवं निष्पादन तिथि सं आगापी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के दास दितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पहाकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पहाकार को 01 गांह पूर्व सूचना वैकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा राकेमा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षाकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो तसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 गाह पूर्व सूचना वेना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज विनांक 14.09.2022 को वो गवाहों के रामक्ष रथान- बिलारापुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के रवेच्छ्या से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि रानद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

प्रथम पक्षकार का हरताधार

दितीय पद्मकार का हरताक्षर

1 4 SEP 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED SIGNED / HE WAS HITTRESSION ात्र पर संबोधत व्यक्ति ने पक्कर/पद्वा ... अपव्यूतिक कथन आज कटा और इस दस्तावज पर इस्ताक्षर/अगूठा किया ।

> Arun Kumar Singh Central Notary Bilaspur (C.G.)

CF On Rupees Two/Five affixed & Notatial Stamp of Rupees 10/- अध्यापः affixed / Not affixed



Trun Kumar Singh EPAREL MOLARY Haspur (C.G.)

#### (Contract for Teaching)

2 2 SEP 2022


प्रथम पक्षकार

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार

श्री अभिलाष अवस्थी उम्र 29 पिता : श्री अनिल कुमार अवस्थी निवासी- कटकवार गली, टिकरापारा जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

आधार नंबर: 414450528830



- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री अभिलाष अवस्थी को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रबंधन विभाग में संविदा सहा.प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 22.09.2022 को दो गवाहों के समक्ष रथान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

2.2 SEP 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समस इस दस्तावेज पर संवीधत व्यक्ति ने
पहकर/पड़चाकर शपपपूर्वक कथन आज कश और सुस दस्तावेज पर इस्ताक्षर/अंगुडा किया ।

> Arun Kuma Plank Central Notary Bilaspur (C.G.)

CF On Rupees Two/Five affixed & Notatial Stamp of Rupees 10/affixed / Not affixed



INDIA CANCELLED

1 2 OCT 2022

Bilaspur (C.G.)

(Contract for leaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला - बिलासपुर (छ.ग.)



द्वितीय पक्षकार

कु. प्रशंसा यादव उम्र 23 पिता: श्री अशोक कुमार यादव निवासी- तिलक नगर, वासुदवे क्लिनिक के पास जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन - 495001

आधार नंबर : 610103142937

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार कु. प्रशंसा यादव को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार माइक्रोबायोलॉजी विभाग में संविदा सहा.प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकरिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 12.10.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-1 *ागराम - ५-३वडी* 

2 डां. भनीव निवारी 1 2 OCT 2022 प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

Confor

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED (THEME IMPRESSION
मेरे समक्ष का कलावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पड़कर/पड़का के अवायपूर्वक कथा आज कहा
और इस दरतावेज पर हस्ताक्षर/अगुठा किया।

Arun Kumar Singh Central Motary Bitat CF On Rupers Tooletor affixed a Notatial Stancy of Rupees 10/effixed / Not affixed



7:5 NOV 2022

Arun Kajmar Singh (Contract for Teaching)
Central Notary
Bilaspur (C.G.)

प्रथम पक्षकार – प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय

पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व

जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

द्वितीय पक्षकार - श्री बद्री प्रसाद साहू उम्र 27

पिता : श्री बी.आर. साहू

बिजली विभाग के पास, अशोक नगर सरकण्डा

बिलासपुर, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

पिन - 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तों के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :--

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री बद्री प्रसाद साहू को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।

यह कि द्वितीय पक्षकार वाणिज्य विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।

- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकरिमक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 05.11.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान- बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना-अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

F:5 NOV 2022

1 :5 NOV 2022 SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED SIGNED I THUMB IMPRESSION भेर समस इरा दस्तावेज पर संवीयत व्यक्ति ने पहुंकर/पढ़वाज्य ग्रापथपूर्वक कथन आज कवा और इस दस्तावेज पर इस्ताक्षर/अंगूटा किया ।

> Arun Kumar Singh Central Notary Bilaspur (C.G.)

CF On Rucces TuniFive affixed

& Notation Stamp of Rupees 101.

& Notation affixed

affixed I not affixed

CANCELLED CANCELLED

1 NOV 2022

Anin Kuma Nown (C.G.) (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला – बिलासपुर (छ.ग.)




द्वितीय पक्षकार

श्री सुशील कुमार पटेल उम्र 24
पिता : श्री घसियाराम पटेल
शिवम् विहार, सरकण्डा
बिलासपुर, जिला– बिलासपुर (छ.ग.)
पिन – 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तो के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :-

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार श्री सुशील कुमार पटेल को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार अंग्रेजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।



- यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुवंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी
   माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 07.11.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह:-

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

2 डो. मनीप निवासी

22


द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

E 7 NOV 2022

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
देर तमन रूट रस्तावेज पर संबंधित व्यक्ति ने
पहकर/पड़वाट शपण्यूर्वक सहन अस्ति और इस दस्तावेज पर हस्ताक्ति

Arun Kumar Singl Central Viotary Bilaspur (C.G.)







6: 9 NOV 2022"

## (Contract for Teaching)

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला – बिलासपुर (छ.ग.)



द्वितीय पक्षकार

MIE.G.

कु. दीक्षा देवांगन उम्र 26
पिता : श्री नारायण प्रसाद देवांगन
मधुबन रोड, शिखा वाटिका दयालबंद
बिलासपुर, जिला– बिलासपुर (छ.ग.)
पिन – 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तो के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :--

- यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यो के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- 2. यह कि द्वितीय पक्षकार कु. दीक्षा देवांगन को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन 10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 3. यह कि द्वितीय पक्षकार भूगोल विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।

- यह िक प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी
   11 माह तक के लिए िकया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यों से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 09.11.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह:-

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

2 <u>5j. Hala Pan श</u> € 9 NOV 2022

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

SOLEMNLY AFFIRMED OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SARYED ITHINAS IMPRESSION
हैं। एमल हा पासबेल पर रहिष्टेत व्यक्ति ने
प्राप्त शब्दा हर सामग्रुवंग रहिन जात नहीं
आर इस दस्तावंग पर हस्तावंग ग्रह सेना।

Arun Kumar Singh Central Hotary



(Contract for Teaching)

= 6 NOV 2027

प्रथम पक्षकार

प्राचार्य, डी.पी. विप्र महाविद्यालय पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर, तह. व जिला – बिलासपुर (छ.ग.)



द्वितीय पक्षकार

कु. दीपाली कुशवाहा उम्र 26 पिता : श्री नरेन्द्र कुशवाहा आर्यसमाज मंदिर के पास गोड़पारा बिलासपुर, जिला– बिलासपुर (छ.ग.) पिन – 495001

उपरोक्त अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के मध्य निम्नलिखित शर्तो के तहत् निष्पादित किया जा रहा है :--

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार एक महाविद्यालय है, जिसमें अध्यापन का कार्य होता है एवं द्वितीय पक्षकार को महाविद्यालय में अध्यापन कार्य एवं अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिये संविदा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।
- यह कि द्वितीय पक्षकार कु. दीपाली कुशवाहा को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राचार्य के आदेश पर संविदा सहायक प्राध्यापक के पद हेतु नियुक्त किया जा रहा है, संविदा वेतन
   10357 रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई.सी. की सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- यह कि द्वितीय पक्षकार माइक्रोबायोलॉजी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापक होगा।
- 4. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रथम पक्षकार महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सारिणी अनुसार अध्यापन कार्य संपादित करना होगा।
- 5. यह कि द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश भुगतान सहित प्राप्त होगा एवं आवश्यकतानुसार सीमित अवसरों पर अतिरिक्त कार्य करना होगा।

- 6. यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार का यह अनुबंध पत्र निष्पादन तिथि से आगामी 11 माह तक के लिए किया जाता है।
- 7. यह कि प्रथम पक्षकार के द्वारा द्वितीय पक्षकार के कार्यो से असंतुष्ट होने पर प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देकर उपरोक्त अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं उसी प्रकार यदि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की व्यवस्था से असंतुष्ट है तो उसे भी अध्यापन कार्य छोड़ने के पूर्व प्रथम पक्षकार को 01 माह पूर्व सूचना देना होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार के द्वारा आज दिनांक 09.11.2022 को दो गवाहों के समक्ष स्थान— बिलासपुर में बिना किसी डर, भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छया से पढ़कर व समझकर, पढ़कर अपना—अपना हस्ताक्षर कर निष्पादित किये ताकि सनद् रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

गवाह :-

गवाह:-

प्रथम पक्षकार का हस्ताक्षर

<sup>2</sup> डां. भनीष त्रिवारी

= 6 NOV 2022

द्वितीय पक्षकार का हस्ताक्षर

Fepall'

SOLEMNLY AFFIRMEN OR SWORN
BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED
SIGNED / THUMB IMPRESSION
मेरे समझ इत रस्ताबेज पर संबंधित व्यक्ति नै
पड़कर/पड़वाकर अपयपूर्वक कथन आज कहा
और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अंगुडा किया।

Arun Kumar Singh Central Notary Bilaspur (C.G.)